सरल कानूनी ज्ञान माला – 6

महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in , ukslsanainital@gmail.com

प्रस्तावना

बहादुर महिलाएं उत्तराखण्ड की शान हैं। उत्तराखण्ड राज्य के सृजन में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। वैसे भी हमारे देश में 50 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है इसलिए महिलाओं के उत्थान एवं उनको आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए, उनके अधिकारों से अवगत कराया जाना राष्ट्र के हित में अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महिलाओं के अधिकार शीर्षक नामक इस पुस्तक को सरल हिन्दी भाषा में लेखबद्ध किया गया है। जिसको दो भागों में विभाजित किया गया है जिसके द्वारा महिलाओं के अधिकारों के सभी आयामों पर प्रकाश डाला गया है। प्रथम भाग महिलाओं के महत्वपूर्ण सिविल अधिकार और द्वितीय भाग में दण्डित विधि में महिलाओं की सुरक्षा का वर्णन किया गया है।

चूंकि उत्तराखण्ड राज्य में पुरुषों की अधिकतर संख्या सेना में रहकर राष्ट्र की रक्षा करती हैं और यहां की महिलाएं घर की सुरक्षा करती हैं। इसलिए उत्तराखण्ड की महिलाओं को विधि के अंतर्गत अधिकारों की जानकारी देकर अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। आशा है कि यह पुस्तक उत्तराखण्ड राज्य की महिलाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

– इन्द्रजीत मल्होत्रा

विषय सूची

भाग – 1

महिलाओं के महत्वपूर्ण सिविल अधिकार

1. **महिलाओं के श्रमिक अधिकार –**
   - (क) न्यूनतम मजदूरी
   - (ख) प्रसूति संबंधित विशेष सुविधाएं
   - (ग) मजदूरी का काम करने पर दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति
   - (घ) ठेकेदारों द्वारा प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं देने संबंधी कानून
2. **महिलाओं के सामाजिक अधिकार –**
   - **(क) गोद लेने का कानून –**
   - (प) बच्चे को कौन गोद ले सकता है ?
   - (पप) अनाथालय से बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया
   - (पपप) क्या बच्चे को गोद लेने और देने के लिए लिखा–पढ़ी जरूरी है ?
   - (पअ) गोद लेने संबंधी आवश्यक शर्ते
   - (अ) बच्चे को गोद लेने के स्थान पर उस बच्चे को केवल संरक्षक बना जा सकता है।
   - **(ख) महिला को छुआछूत से छुटकारा पाने का कानून**
   - **(ग) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम 1989)**
   - **(घ) बंधुआ मजदूरी से कैसे छुटकारा दिलाया जा सकता है ?**
3. **महिलाओं के विवाह एवम् तलाक संबंधी अधिकार –**
   - **(क) हिन्दू शादी का कानून –**
   - (प) कानूनी विवाह करने के लिये निम्न शर्तो का पूरा होना आवश्यक है,
   - (पप) हिन्दुओं में महिला द्वारा तलाक प्राप्त करने के आधार,
   - (पपप) विवाहित जीवन के कर्तव्यों को कब पूरा करने के लिये कहा जा सकता है
   - (पअ) पत्नी–पति के आपसी समझौते से विवाह का तलाक करना,
   - **(ख) मुस्लिम शादी का कानून –**
   - (प) जायज विवाह आवश्यक शर्ते,
   - (पप) निकाह की किस्में,
   - (पपप) मुस्लिम महिला कब तलाक ले सकती है ?
     1. अदालत के बिना तलाक,
     2. अदालत के जरिये तलाक लेना
   - (पअ) पत्नी को अपने वैवाहिक कर्त्तव्य निभाने पर कब मजबूर किया जा सकता है ?
     (अ) तलाक होने पर पत्नी को क्या अधिकार हैं ?
   - **(ग) ईसाई विवाह का कानून –**
   - (प) विधिवत् विवाह की शर्त
   - (पप) विवाह में कौन से रीति–रिवाज वैध है,
   - (पपप) ईसाई विवाह में पत्नी किन–किन आधारों पर तलाक ले सकती हैं ?
   - **(घ) बाल विवाह कानूनी अपराध**
   - **(ड़) बाल विवाह कैसे रोका जा सकता हैं ?**
4. **महिलाओं की अभिरक्षा, भरण–पोषण एवम् संपति अधिकार –**
   - (क) वैवाहिक महिलाओं के बच्चों को अभिरक्षा के अधिकार,
   - (ख) महिलाओं के भरण–पोषण संबंधी पति से अधिकार,
   - (ग) महिलाओं का भिन्न–भिन्न धर्मो के पुरुषों से विधिवत् आपसी विवाह कैसे किया सकता है ?
   - (घ) महिलाओं के संपति अधिकार
   - (ड) हिन्दू स्त्रियों के संपति अधिकार,
   - (च) हिन्दू महिला का स्त्री धन,
   - (छ) हिन्दू खानदानी संपति में महिला का अधिकार,
   - (ज) हिन्दू महिला अपनी संपति की वसीयत कर सकती है,
   - (झ) मुस्लिम महिला का जायदाद का हक,
   - (ञ) मुस्लिम महिला किन–किन रूपों में वारिस बन सकती है,
   - (ट) मुस्लिम महिला का मेहर पाने का अधिकार,
   - (ठ) मुस्लिम महिला का नफका अधिकार,
   - (ड) मुस्लिम महिला का हिबा करने का अधिकार
   - (ढ) मुस्लिम महिला का वसीयत करने का अधिकार
   - (ण) मुस्लिम तलाकषुदा पत्नी के साथ भेदभाव क्यों ?

भाग – 2

दण्डिक विधि में महिलाओं की सुरक्षा –

(क) दहेज के अत्याचार से महिला की सुरक्षा का उपाय,
(ख) दहेज के लिए तंग करने या जलाने वाले अपराधियों के विरूद्ध विशेष कानूनी उपबंध
(ग) महिला के प्रति बलात्कार और अपहरण से संबंधित अपराधों से कानूनी सुरक्षा
  (प) महिला के साथ बलात्कार का अपराध,
  (पप) पति–पत्नी के संभोग को कब बलात्कार कहा जाएगा ?
  (पपप) बलात्कार होने पर महिला को क्या करना चाहिए ?
  (पअ) बलात्कार अपराध में पुलिस का दायित्व,
  (अ) न्यायालय की कार्यवाही में स्त्री के लिए विशेष व्यवस्था
(घ) अपहरण अपराध में महिलाओं की सुरक्षा,
(ड) वेश्यावृति से महिलाओं की कानूनी रक्षा,
(च) पुलिस से सम्बन्धित महिला के अधिकार,

भाग – 1
महिलाओं के महत्वपूर्ण सिविल अधिकार

भारतवर्ष में महिला एवम् पुरुष को संविधान में बराबरी का अधिकार दिया गया हैं और इन सांविधानिक अधिकारों को उपलब्ध कराने हेतु भिन्न–भिन्न क्षेत्रों से संबंधित अधिनियम भी बनाए गए हैं। इनका लाभ महिलाओं तक पहुंचाने के लिए एक युवा प्रशासक को यह जानकारी रखना जरूरी है कि महिलाओं के महत्वपूर्ण सिविल कानून क्या हैं और इनका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जा सकता है?

1. महिला के श्रमिक अधिकार

(क) न्यूनतम मजदूरी –

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत हर काम करने वाली औरत या आदमी को कम से कम उतना वेतन मिलना चाहिए, जितना सरकार ने तय किया है। अगर कोई व्यक्ति मजदूरी के कारण न्यूनतम वेतन से कम पर काम करने पर राजी भी हो तो भी ठेकेदार या काम पर लगाने वाले व्यक्ति पर यह बाध्यकर है कि वह न्यूनतम वेतन से कम पैसे न दे।

इस अधिनियम में निम्न श्रेणी के सभी कामगार, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत होती है, न्यूनतम वेतन पाने के अधिकारी हैं :

(प) अस्थाई रूप से काम करने वाले मजदूर, जैसे – पत्थर तोड़ने या सड़क बनाने वाले,
(पप) दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर, जैसे – भवन निर्माण या कारखानों में काम करने वाले,
(पपप) किसी बागान या बीड़ी के कारखानों में काम करने वाले मजदूर,
(पअ) खेती में काम करके अपनी जीविका कमाने वाले खेतीहर मजदूर,

न्यूनतम वेतन का पैसा काम करने वाले व्यक्ति की उम्र के अनुसार निश्चित किया जाता है, इसलिए 14 से 18 साल तक के व्यक्ति के लिए भिन्न न्यूनतम वेतन होगा और 18 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए न्यूनतम वेतन भिन्न होगा। परन्तु जहां तक पुरुष या महिला के मजदूर होने का प्रश्न है, उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता और दोनों व्यक्ति बराबर का न्यूनतम वेतन पाने के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त औरतों को गर्भावस्था व प्रसूति से संबंधित एवम् अन्य अधिकार अलग से दिए गए हैं। यदि एक ही तरह के काम के लिए स्त्री या पुरुष को एक जैसा वेतन नहीं दिया जाता तो वह समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत अपराध है जो कि एक माह का कारावास एवम् 1000/– रूपये से दण्डित किया जा सकता है।

फैक्टरी अधिनियम 1948 जो कि फैक्टरी में काम करने वालों को अधिकार उपलब्ध कराता है, उसमें महिलाओं को निम्नलिखित विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनको वह पाने की अधिकारी है :–

(प) जहां 50 से अधिक महिलाएं काम करती हैं, उस फैक्टरी में बच्चों की देखभाल के लिए शिशुकक्ष (Creche) होना आवश्यक है।
(पप) महिलाओं से फैक्टरी में ओवर टाइम काम नहीं लिया जा सकता और महिलाओं से एक सप्ताह में 48 घंटों से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। जिसमें एक सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलना जरूरी है और उसके साथ–साथ 5 घंटों से अधिक लगातार काम नहीं कराया जा सकता। इसके अतिरिक्त काम सुबह 6 बजे से रात 7 बजे के बीच ही कराया जा सकता है।

अलग–अलग कामों के लिए न्यूनतम वेतन तय किया जाता है। किस काम में क्या न्यूनतम वेतन होगा, इसकी भी व्यवस्था की जाती है और यदि कोई ठेकेदार या मालिक न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी देता हैं तो उसके विरूद्ध श्रम इंस्पेक्टर को लिखित शिकायत की जा सकती है जो कि एक कानूनी अपराध है और न्यूनतम मजदूरी अमिनियम, 1948 में सजा या जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। न्यूनतम मजदूरी के अधिकार के अतिरिक्त यह भी प्रावधानित है कि किसी मजदूर से एक दिन में कितने घंटे काम लिया जा सकता है। इसलिए यदि निश्चित अवधि में अधिक काम लिया जाता है तो उसकी बाबत् मजदूर ओवर टाइम के लिए अतिरिक्त पैसा पाने का अधिकारी है। प्रत्येक मजदूर से काम लेने की निश्चित अवधि नौ घंटे तय की गई है अर्थात् किसी मजदूर से कुल 9 घंटे से अधिक मजदूरी नहीं कराई जा सकती और इस अवधि में उसे आराम का समय भी दिया जाना सम्मिलित है। यदि किसी मजदूर से 9 घंटे से अधिक अवधि का काम लिया जाता है तो वह ओवर टाइम के रूप में अपनी न्यूनतम वेतन के अतिरिक्त ओवर टाइम अवधि का दुगुना वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। **इर** खेतिहर मजदूर भी अपने इस अधिकार की मांग कर सकता है और उसको न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त ओवर टाइम की अवधि की मजदूरी डेढ़ गुनी मिलनी चाहिए।

प्रत्येक काम करने वाले मजदूर, जिनमें निश्चय ही महिलाएं भी सम्मिलित है, अपने मालिक से आराम या छुट्टी को भी प्राप्त करने का अधिकारी है। क्योंकि काम करने वाले को सप्ताह में एक दिन आराम या छुट्टी प्राप्त करने का अधिकार है। यदि किसी मजदूर से दिहाड़ी पर काम लिया जाता है और मालिक ने पूरे दिन में केवल दो घंटे या तीन घंटे का काम करवाया है तो भी वह मजदूर पूरे दिन की न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकारी है। इसी प्रकार यदि कोई मजदूर काम पर हाजिर रहे परन्तु उससे दिन भर काम न लिया जाए तो वह उसकी छुट्टी नहीं मानी जाएगी और वह पूरे दिन का वेतन पाने का अधिकारी है।

यदि कोई मजदूर किसी फैक्टरी में काम करता है जहां मजदूरों की संख्या एक हजार से अधिक है, वहां काम करने वाले मजदूर को माह के सातवें दिन से पहले वेतन मिल जाना चाहिए। बाकी काम करने वाले अन्य मजदूरों को माह की दसवीं तारीख तक वेतन मिल जाना चाहिए। खेतिहर मजदूर वेतन कुछ नकद में और कुछ अनाज के रूप में ले सकते हैं परन्तु मालिक किसी मजदूर को वेतन के बदले कुछ लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

क्या किसी मजदूर से यदि उसकी लापरवाही के कारण नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई वेतन में कटौती करके की जा सकती है ? यदि वास्तव में मजदूर की लापरवाही से मालिक को नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए मालिक को चाहिए कि वह मजदूर को इस बाबत् नोटिस दे ताकि वह अपनी सफाई में कुछ कह सकें और उसके पश्चात् ही नुकसान की भरपाई के लिए कटौती की जा सकती है।

(ख) प्रसूति संबंधित विशेष सुविधाएं –

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के अन्तर्गत काम करने वाली स्त्रियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जो कि काम करने वाली स्त्री के गर्भावस्था से संबंधित हैं। ये सुविधाएं गर्भावस्था के दौरान, बच्चा पैदा होने के बाद ओर मातृत्व के शुरूआत के महीने में दी जाती है।

कामकाजी महिलाएं प्रसूति से पहले पूरे वेतन पर 08 हफ्ते की छुट्टी और प्रसूति के बाद 18 हफ्ते की छुट्टी पाने की अधिकारी है परन्तु तीसरी संतान हेतु अवकाश की अवधि 12 सप्ताह तक प्राप्त की गयी है, जो कि 6 सप्ताह प्रसूति पूर्व व 6 सप्ताह प्रसूति पश्चात हो सकती है। यदि मालिक प्रसूति से पहले और प्रसूति के बाद की आवश्यक डॉक्टरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता है तो उस स्थिति में उसे इसके बदले 250/– रू0 मेडिकल बोनस यानि की डॉक्टरी चिकित्सा का खर्च भी देना होगा। कोई भी मालिक या ठेकेदार किसी स्त्री से गर्भावस्था में आखिरी एक महीने के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं करा सकता जो स्त्री को शरीर से थका दे या स्त्री को लम्बे समय के लिए खड़ा रहना पड़े या भारी वजन उठाना पड़े। महिला मजदूर कोई भी ऐसा काम करने से इंकार कर सकती है जिससे पेट में पल रहे बच्चे को किसी भी प्रकार का खतरा हो।

यदि किसी कामगार महिला का गर्भावस्था में बच्चा गिर जाता है तो बच्चा गिरने के बाद वह छह हफ्ते की छुट्टी पूरे वेतन पर प्राप्त करने की अधिकारी है। इसके अतिरिक्त यदि 9 महीने से पहले बच्चा पैदा हो जाने के कारण, प्रसूति के कारण या बच्चा गिरने के कारण वह महिला बीमार पड़ सकती है तो उसे एक माह से अधिक की छुट्टी पूरे वेतन पर दी जाएगी। इस प्रकार प्रसूति संबंधी कुल 12 हफ्ते और एक माह अर्थात् कुल लगभग ढाई महीने तक पूरे वेतन पर छुट्टी प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चे का जन्म होने के पश्चात जब भी महिला काम पर लौटती है तो उसे बच्चे को दूध पिलाने के लिए दिन में दो बार अलग समय मिलेगा जो कि आराम के लिए दिए गए समय के अलावा होगा।

इन प्रसूति संबंधी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि काम करने वाली महिला ने प्रसूति से पहले के 12 महीने में उसी मालिक के पास कम से कम 80 दिन काम किया हो। इसलिए महिला के गर्भावस्था की सूचना देनी होगी परन्तु यदि किसी कारण सूचना नहीं दी गई तो उसे प्रसूति के बाद भी सूचित किया जा सकता है। प्रसूति के पहले की छुट्टी के पैसे छुट्टी पर जाने से पहले वो प्राप्त करने की अधिकारी हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि गर्भावस्था की सुविधा लेने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि महिला शादी–शुदा हो। यदि काम लेने वाला व्यक्ति इन सुविधाओं को देने से इंकार करता है तो उसके विरूद्ध संबंधित श्रम अधिकारी के यहां शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। परन्तु इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह सुविधाएं उन काम करने वाली स्त्रियों को नहीं दी जाएगी जो छुट्टी तो लेती हैं मगर छुट्टी के दौरान किसी दूसरी जगर काम करने लगती हैं।

(ग) मजदूर की काम के दौरान दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति –

यदि कोई और मजदूर खेतिहर है जिनमें महिलाओं का होना भी स्वाभाविक है, और काम करते हुए थ्रेशर से उसका हाथ कट जाता है या भवन निर्माण में मजदूरी करते हुए किसी मजदूर की गिरने से मृत्यु हो जाती है। ऐसी किसी भी दुर्घटना में मजदूर के चोट आने या मृत्यु होने पर उसको अथवा उसके आश्रितों को

मुआवजा अर्थात् नुकसान पूरा करने के उद्देश्य से कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 को सृजित किया गया है। मजदूरों की कई श्रेणियां हैं जिन्हें मजदूरी करते समय चोट आने या मृत्यु होने पर प्रतिकर या मुआवजा देने की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। उदाहरणतया किसी मजदूर द्वारा वाहन पर सामान चढ़ाने की मजदूरी के दौरान, इमारत, सड़क, पुल बनाने के दौरान चोट आने, ट्रैक्टर या अन्य यंत्रों से खेती का काम करते हुए मजदूर को चोट आने इत्यादि की परिस्थितियों में इस अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ण हेतु चोट की स्थिति में स्वयं मजदूर द्वारा और मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित द्वारा विधिवत् मुआवजा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार यदि महिला स्वयं श्रमिक है और दुर्घटना का शिकार हो जाती है या उसका पति शिकार हो जाता है, जिस पर वह आश्रित है, दोनों स्थितियों में इस अमिनियम के अन्तर्गत मुआवजा प्राप्त किया जा सकता है।

मुआवजा देने का दायित्व मालिक का होता है क्योंकि दुर्घटना के समय मजदूर मालिक का काम कर रहा होता है। परन्तु यह जरूरी नहीं है कि मालिक की गलती के कारण ही चोट आई हो या दुर्घटना हुई हो। यदि मजदूर मालिक की नौकरी पर है और उस दौरान मालिक का काम करते समय किसी अन्य गलती के कारण दुर्घटना घटित हो जाती है तो भी मुआवजा मालिक से प्राप्त किया जा सकता है। कई मालिक मजदूरों को ठेकेदार के जरिए रखते हैं तो उस स्थिति में मुआवजा ठेकेदार या मालिक से प्राप्त किया जाए या दोनों से संयुक्त रूप से प्राप्त किया जाए, यह मजदूर की इच्छा पर निर्भर करता है परन्तु दोनों का दायित्व बराबर है। यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि यदि कामगार तीन दिन के बाद काम करने लायक हो जाता है अर्थात् चोट की प्रकृति ऐसी है कि जिसे ठीक होने में तीन दिन से अधिक का समय लगता है तो मजदूर मुआवजा पाने का अधिकारी है। जब कभी दुर्घटना श्रमिक की लापरवाही के कारण या शराब के नशे में हो जाती है जिसका परिणाम श्रमिक की मृत्यु होती है तो उस स्थिति में भी मालिक को मुआवजा मृत श्रमिक के आश्रितों को देना होगा। भले ही मृत्यु किसी की भी गलती या लापरवाही से हुई हो।

मुआवजा की क्या मात्रा होगी, यह चोट की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि चोट लगने के समय वह श्रमिक कितना कमाता था। कभी–कभी मजदूरी करने से श्रमिक का शिकार हो जाता है अर्थात् कुछ पदार्थ की कमी के कारण टी.बी. दमा या कैंसर भी हो जाता है, उस स्थिति में किन बीमारियों के होने से कितना प्रतिकर मिल सकता है, इसकी सूची कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 में दी गई है। यदि किसी कर्मकार ने नौकरी छोड़ दी है तो उस स्थिति में नौकरी छोड़ने के दो वर्ष के अंदर यदि कामगार को बीमारी लग जाती है तो वह मालिक से प्रतिकर प्राप्त कर सकता है परन्तु नौकरी छोड़ने के दो साल बाद कोई बीमारी लगती है तो उस स्थिति में मालिक का कोई प्रतिकर देने का दायित्व नहीं है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत दुर्घटना से चोटे आने या मृत्यु होने पर मालिक से मुआवजा पाने के लिए दुर्घटना के तुरन्त बाद मालिक को एक नोटिस देना होगा जिसमें दुर्घटना का कारण, दुर्घटना की तिथि एवं समय का उल्लेख करना होगा। यदि इस नोटिस के बाद मालिक मुआवजा देने से इंकार करे या पर्याप्त मुआवजा न दे तो अधिनियम के अन्तर्गत कमिश्नर को अर्जी देनी होगी। वैसे भी यदि दुर्घटना व चोट किसी महिला कामगार को लगती है और मालिक द्वारा मुआवजा की इकट्ठी रकम दी जा रही है तो यह प्रतिकर की धनराशि कमिश्नर के द्वारा दी जा सकती है। इसी प्रकार किसी कामगार की मृत्यु हुई हो तो भी मालिक उसके रिश्तेदारों को सीधा मुआवजा नहीं दे सकता बल्कि प्रतिकर की धनराशि को कमिश्नर के यहां जमा करानी होगी। तत्पश्चात् कमिश्नर से मृतक कामगार के आश्रित प्रतिकर की धनराशि प्राप्त कर सकते है। प्रत्येक दुर्घटना के शिकार श्रमिक या अन्य आश्रितों को मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए :

(1) दुर्घटना के कारण आई चोटों की डॉक्टरी जांच करवाएं और हो सके तो यह जाचं सरकारी डॉक्टर से करवाएं। जांच कराने के बाद डॉक्टर से रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त कर लें।

(2) थाने पर जाकर भी इस दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दें और इस रिपोर्ट की भी कॉपी प्राप्त कर लें। यदि आप समझते हैं कि चोटों के कारण थाने नहीं जा सकते तो किसी को भेजकर यह रिपोर्ट थाने में लिखवाई जा सकती है।

(3) दुर्घटना के बाद मालिक को नोटिस देना होगा और उसके द्वारा मुआवजा देने से इंकार करने पर या पर्याप्त मुआवजा न देने के परिणाम स्वरूप अर्जी को कमिश्नर के यहां दिया जाएगा जिससे मुआवजे के लिए मांग की जाएगी।

(4) कमिश्नर के यहां मुआवजा प्राप्त करने के लिए अर्जी दुर्घटना के दो साल के अंदर देनी होगी और उसके बाद यह अर्जी कमिश्नर तभी ग्रहण कर सकता है यदि दो साल के दाखिल न करने के विशेष उपस्थित हों इसलिए उचित यही होगा कि अर्जी दुर्घटना के बाद शीघ्र दो वर्ष की अवधि में दे दी जाए।

(5) डॉक्टरी रिपोर्ट, थाने में लिखाई रिपोर्ट इत्यादि की प्रतियों को कमिशनर के यहां दाखिल किया जाएगा ताकि प्रतिकर की मात्रा निर्धारित करने में उनकी मदद ली जा सकें। इसलिए थाने में लिखाई रिपोर्ट, जिसमें दुर्घटना के गवाह अर्थात् जो लोग दुर्घटना के समय मौजूद थे एवं डॉक्टरी रिपोर्ट महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं और इनकी प्रतियों को प्राप्त कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है।

(घ) ठेकेदारों द्वारा प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं देने संबंधी कानून :–

ठेका मजदूरी में लगे मजदूर रोजी कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। ऐसे मजदूरों को कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम 1970 सृजित किया गया है जिसके अन्तर्गत ठेकेदार को निम्नलिखित सुविधाओं को उपलब्ध कराना कानूनी दायित्व है।

जो भी मजदूर, जिनमें महिलाएं भी होती हैं, ठेकेदार के यहां काम करेंगे, उन मजदूरों के छह साल के छोटे बच्चों के लिए कम से कम दो कमरे अवश्य देने होंगे जिसमें एक कमरा बच्चों के सोने के लिए तथा दूसरा कमरा उन बच्चों को खेलने के प्रयोग में आ सकें। जिस जगह पर मजदूर को ठहराया जाएगा, वहां मजदूरों के लिए स्वच्छ पीने का पानी, शौचालय एवं प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना बाध्यकारी है। यदि ठेकेदार का छह महीने अवधि तक काम चलता है और मजदूरों की संख्या 100 से अधिक है तो उसे उस स्थिति में ठेकेदार को एक कैंटीन या भोजनालय का प्रबंध करना होगा और कैंटीन में उचित दर से खाने–पीने का सामान उपलब्ध कराना होगा और इस कैंटीन को कमाई न करने के उद्देश्य से चलाना होगा। यदि ठेकेदार इस सबका प्रबंध नहीं करता तो मालिक को इसका प्रबंध करना होगा। प्रत्येक प्रशासक चाहे वह इंजीनियर हो या जंगल अधिकारी, जो प्रायः ठेके पर कार्य उठाते हैं, उनको अपने आप से पूछना होगा कि क्या इन कानूनों का लाभ मजदूर महिलाओं को उपलब्ध कराया जाता है।

प्रायः यह भी शिकायत मिलती है कि मालिक ठेकेदार को न्यूनतम मजदूरी दे देता है और ठेकेदार अपना कमीशन काटने के बाद मजदूर को वेतन देता है जो कि अवैध है क्योंकि ठेकेदार को कमीशन देना मालिक की जिम्मेदारी है और मजदूर को अपनी पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। ऐसे सभी काम करने वाले मजदूर स्थाई कर्मचारी की तरह छुट्टियों के हकदार होते हैं। यदि ठेकेदार इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी को लिखित रिपोर्ट की जा सकती हैं।

प्रवासी मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंतर राज्यक प्रवासी मजदूर अमिनियम 1979 का सृजन किया गया है जिसके अन्तर्गत जो भी ठेकेदार किसी दूसरे प्रदेश से 5 या उससे ज्यादा मजदूरों को भर्ती करता है तो उसके पास उस प्रदेश की सरकार का दिया हुआ लाइसेंस यानि आज्ञा पत्र होना चाहिए। यदि पंजाब का रहने वाला व्यक्ति उत्तराखण्ड के मजदूरों को पंजाब ले जाने के लिए भर्ती करता है तो उसको पंजाब द्वारा इस बाबत् लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए और उस लाइसेंस में वैधता की तिथि और मजदूरों के भर्ती करने का सरकारी उल्लेख होना चाहिए।

ऐसे ठेकेदार को भर्ती करने वाले प्रत्येक प्रवासी मजदूर के नाम की पास–बुक तैयार करनी जरूरी है जिसमें उस मजदूर की फोटो, नाम, काम की जगह, मजदूरी की दर, विस्थापन भत्ता, वापसी किराए की दर, भर्ती की तारीख, नजदीकी रिश्तेदार का नाम इत्यादि सभी तथ्यों का उल्लेख करना होगा। यह पास–बुक प्रवासी मजदूर के पास रहेगी। काम करते समय कई बार गंभीर घटना भी घट सकती है और चोट भी लग सकती है या जान भी जा सकती है। ऐसी दुर्घटना में ठेकेदार की यह जिम्मेदारी है कि वह तुरन्त ही कामगार के नजदीकी रिश्तेदार और सरकार को दुर्घटना की सारी जानकारी भेजे और मौत हो जाने पर नजदीकी रिश्तेदार को कानून के मुताबिक क्षतिपूर्ति की रकम दी जायेगी। प्रवासी मजदूर को मजदूरी देने की जिम्मेदारी पहले ठेकेदार की है और अगर वह वेतन नहीं देता तो जिस मालिक का काम किया जाता है उससे मजदूरी प्राप्त की जा सकती है। यह मजदूरी महीने में कम–से–कम एक बार मिलनी चाहिए। यदि काम करने की जगह ठण्ड है तो ठेकेदार को गर्म कपड़े देने होंगे और ज्यादा ठण्डी जगह पर तीन साल में एक ओवर कोट देना होगा। इसके अतिरिक्त ठेकेदार प्रवासी मजदूर को मकान की सुविधा, डॉक्टरी देखभाल, पीने का पानी, शौच इत्यादि सुविधाओं को उपलब्ध कराना होगा। अगर प्रवासी मजदूरों में 20 से अधिक औरतें तीन महीने से ज्यादा अवधि के लिए काम करती हैं तो उनके लिए बालवाड़ी की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। यदि पुरुष और उसकी पत्नी दोनों मजदूरी करते हैं तो दोनों को बराबर वेतन प्राप्त करने का अधिकार है जो कि उस प्रदेश में निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं हो सकती।

यह उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम का लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मजदूर को उसके प्रदेश से ले जाकर दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए लाया जाता है। परन्तु यदि उसने ठेकेदार का काम छोड़ दिया तो वह मजदूर प्रवासी मजदूर की परिभाषा में नहीं रहेगा और इस अधिनियम का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यदि ठेकेदार और मालिक इस अमिनियम के अन्तर्गत दायित्वों का पालन नहीं करते तो

उनके विरूद्ध शिकायत श्रम विभाग में दर्ज कराई जा सकती है जो कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। यह शिकायत गांव वापस आकर भी छह माह की अवधि में की जा सकती है।

2– महिलाओं के सामाजिक अधिकार

(क) गोद लेने का कानून :

मुस्लिम विधि में गोद लेने की व्यवस्था नहीं की गई हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कोई हिन्दू, जिसमें सिक्ख, जैन, बौद्ध भी सम्मिलित हैं, द्वारा कोई बच्चा विधिवत् गोद लिया जा सकता है। इस अधिनियम में किसी लड़के या लड़की को गोद लेने के लिए कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा जो इस प्रकार है :

(1) गोद लेने वाला व्यक्ति स्वस्थचित होना चाहिए अर्थात् वह पागल न हो और ऐसे व्यक्ति की आयु कम–से–कम 21 वर्ष होना जरूरी है। यदि वह शादीशुदा है तो उसकी पत्नी की सहमति या मंजूरी आवश्यक है। परन्तु जहां पत्नी पागल है या उसने सन्यास लिया है या वह हिन्दू नहीं है तो पत्नी की सहमति की जरूरत नहीं है।

(2) विधवा, तलाकशुदा या जिस महिला ने शादी नहीं की है वह हिन्दू महिला भी बच्चा गोद ले सकती है।

(3) परन्तु यदि हिन्दू महिला शादीशुदा है तो स्वयं गोद नहीं ले सकती बल्कि उसका पति केवल गोद ले सकता है। यदि ऐसी हिन्दू विवाहित महिला का पति पागल है या हिन्दू नहीं रहा, या सन्यासी बन चुका है तो वह हिन्दू महिला को बच्चा लेने का अधिकार होता है।

(ख) बच्चे को कौन गोद दे सकता है ?

जहां तक बच्चों को गोद देने का प्रश्न है उसके लिए इस अधिनियम में यह उपबंधित किया गया है कि बच्चे के पिता गोद दे सकते हैं परन्तु गोद देने के लिए बच्चे की माता की अनुमति आवश्यक है। यदि बच्चे के पिता नहीं है तो उसकी माता गोद दे सकती है परन्तु जहां बच्चों के माता–पिता जिन्दा नहीं हैं तो उस स्थिति में ऐसे हिन्दू बच्चे को उसके संरक्षक गोद दे सकते हैं। परन्तु इसमें एक शर्त यह है कि संरक्षक केवल कोर्ट की अनुमति से ही बच्चा दे सकता है। इसलिए कोर्ट से अनुमति प्राप्त करना जरूरी है जिसमें कोर्ट यह सुनिश्चित करती है कि बच्चे की भलाई के लिए ही संरक्षक से बच्चे को गोद लिया जा रहा है।

(ग) अनाथालय से बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया –

ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनके माँ–बाप नहीं होते हैं और अनाथालय वाले कई ऐसे बच्चों के संरक्षक होते हैं। इसलिए यदि ऐसे किसी बच्चे को गोद लेना है तो अनाथालय में जाकर अर्जी देनी जरूरी है जिस पर वहां के कल्याण कार्यकर्ता गोद लेने वाले व्यक्ति के घर, परिवार, आमदनी, स्वास्थ्य संबंधी बाबत् जांच करके संतुष्ट होने के बाद आपको बच्चा गोद देंगे परन्तु ऐसे बच्चे को गोद लेने के लिए अदालत से अनुमति प्राप्त करना जरूरी है।

(घ) क्या बच्चे को गोद लेने और देने के लिए लिखा–पढ़ी जरूरी है ?

यदि किसी बच्चे को गोद देने के लिए माता–पिता जिंदा हैं तो दोनों दत्तक देने और दत्तक लेने वालों का इरादा ठीक है तो गोद किसी भी रस्म से लिया जा सकता है। प्रायः प्रयोग में आने वाली 'होम' रस्म अधिक प्रचलित है। परन्तु गोद के लिए किसी विशेष रस्म का होना जरूरी नहीं है। गोद के लिए स्टाम्प पेपर पर भी लिखा–पढ़ी हो सकती है और ऐसा करना दोनों के लिए हितकर है क्योंकि यदि स्टाम्प पेपर पर लिखा–पढ़ी हो जाए तो उसे रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए ताकि दत्तक को आसानी से नकारा न जा सकें।

(ड़) गोद लेने संबंधी आवश्यक शर्तें :

(1) जिस व्यक्ति की बेटिया हैं तो वह बेटा गोद ले सकता है और जिसके केवल बेटे हैं वह बेटी गोद ले सकता है परन्तु जिसके बेटा–बेटी दोनों हैं वह बच्चा गोद नहीं ले सकता। इसी प्रकार हिन्दू व्यक्ति का बेटा, पोता या पड़पोता है तो वह व्यक्ति बेटा नहीं गोद ले सकता। यदि उसकी बेटी या पोती हैं और वह हिन्दू हो ता वह व्यक्ति बेटी गोद नहीं ले सकता।

(2) गोद लेने वाला बच्चा चाहे वह लड़का है या लड़की वास्तव में हिन्दू होना चाहिए।

(3) गोद लेने वाले बच्चे की आयु 15 वर्ष से अधिक न हो और उसे पहले किसी ने गोद न लिया हो और उसकी शादी न हुई हो।

(4) दोनों, बच्चे गोद लेने वाला एवम् गोद देने वाला हिन्दू होने चाहिए।

(च) बच्चे को गोद लेने के स्थान पर उस बच्चे का केवल संरक्षक बना जा सकता है :

क्योंकि ईसाई या मुसलमान कानूनी गोद नहीं ले सकते इसलिए वह बच्चे को गोद लेने के स्थान पर उसका संरक्षक बन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बच्चे को गोद न लेकर केवल मात्र संरक्षक बनना चाहता है तो उस स्थिति में संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अन्तर्गत ऐसे बच्चे का संरक्षक बनाया जा सकता है। बच्चे के गोद लेने से वह परिवार का वास्तविक सदस्य बन जाता है जैसे कि उसने उसी परिवार में जन्म लिया हो परन्तु बच्चे के संरक्षक बनने की स्थिति में बच्चा या बच्ची का पुराना नाम रहेगा और 21 साल का हो जाने पर वह आजाद हो जायेगा। चूंकि ऐसे बच्चे को कोर्ट की निगरानी में रहना होता है इसलिए यदि संरक्षक कोर्ट की निगरानी में अच्छे पालक नहीं हैं या बच्चा उसको तंग करता है तो संरक्षक के दायित्व को रद्द किया जा सकता है। चूंकि ऐसे बच्चे का वह केवल संरक्षक है इसीलिए इस बच्चे या बच्ची को संरक्षक संतान नहीं माना जायेगा और संरक्षक उसके मां–बाप नहीं बल्कि मात्र पालक होंगे।

(ख) महिला को छुआछूत से छुटकारा पाने का कानून :

प्रत्येक प्रशासक को यह भलीभांति जानना चाहिए कि हमारे देश की आत्मा उसका संविधान है जिसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं। इसलिए कोई भी स्त्री या पुरुष किसी धर्म या जाति का हो, धनी या निर्धन हो वह भारत का समान नागरिक है। कोई भी महिला चाहे वह घास काटती हो या सब्जी बेचकर या अन्य मजदूरी करती हो उसको धनी एवम् ऊंची जाति की महिता की तरह समान स्वतंत्रता से जीवन बिताने एवम् समाज में समान हक प्राप्त करने के संविधानिक अधिकार हैं। परन्तु यह भी कडुवा सत्य हैं कि नीची जाति, अनुसूचित जाति का अछूत कहलाने वाले के साथ अत्याचार होते रहे हैं और उनसे भेद्भाव पूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है।

छुआछूत के कलंक को समाप्त करने के उद्देश्य से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का सृजन किया गया है। इसके अन्तर्गत छुआछूत के आधार पर किसी भी तरह की रोक–टोक लगाने वालों को सजा दी जा सकती है। यदि धर्म–स्थल के स्थान पर जाने की छुआछूत के आधार पर मनाही की जाती है तो वह इस अधिनियम में दण्डनीय है। इस अधिनियम के मुख्य अपराध इस प्रकार हैं :

(1) छुआछूत या जाति भेद के नाम पर रोक लगाना अपराध है। उदाहरणतया यदि चाय की दुकान वाला चाय बेचने को इस आधार पर मना करे कि वह अछूतों को चाय नहीं पिलाता है तो वह इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध है। इसी तरह यदि वह चाय तो दे परन्तु यह कहे कि चाय का कप साफ करके अलग रखना क्योंकि वह अछूतों के लिए अलग बर्तन रखता है तो वह भी दण्डनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे चाय वाले को धमकाए कि उसने क्योंकि अछूत को चाय बेची है और उसके बर्तन का प्रयोग अछूत ने किया तो वह व्यक्ति भी इस अधिनियम में अपराध दोष है। ऐसे सभी व्यक्तियों के विरूद्ध इस अधिनियम में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है कि जाति भेद एवं छुआछूत के लिए इन्होंने धमकाया है जो कि दण्डनीय अपराध है।

(2) जाति के कारण किसी से जबरदस्ती काम करवाना अपराध है। उदाहरणतया यदि कोई लड़की के पिता भंगी है और सड़क पर कहीं कूड़ा पड़ा हो तो उस लड़की को यह कहकर उठाने से मजबर किया जाए कि तू भंगी है तो वह भी कानूनी अपराध है।

(3) अस्पृश्यता या छुआछूत के लिए किसी को गाली देकर पुकारना या नीचा दिखाना अपराध है। उदाहरणतया किसी ऐसी महिला को किसी व्यक्ति ने मारपीट किया हो और वह थाने रिपोर्ट लिखाने जाए और वहां दरोगा यह कहकर उसे भगा दे कि तू चमारन है भाग जा यहां से, तो उसने गाली देकर पुकारने और नीचा दिखाने का जो कृत्य किया है वह दण्डनीय है।

(4) सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग करने का अधिकार सबको बराबर है इसलिए यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता या छुआछूत के कारण रोकता है तो वह दण्ड का भागी है चूंकि इसे दण्डनीय अपराध बनाया गया है। इसलिए हर जाति के लोग सार्वजनिक कुए, हैण्डपम्प, अस्पताल और स्कूल, कालेज के समान प्रयोग के अधिकारी हैं और जो ऐसा करने से रोकता है उसके विरूद्ध इस धारा में मुकदमा चलाया जा सकता है।

(ग) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) :

अनुसूचित जाति व जनजातियों के लोगों के प्रति भेदभाव रोकने एवं उन्हें सम्मान जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को सृजित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के साथ भद्दा व्यवहार करता है तो वह इस अधिनियम में सजा एवं जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्न प्रकृति के सभी कार्यो को अनूसूचित जाति व जनजाति के विरूद्ध अपराध माना जायेगा।

(1) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अहाते में किसी तरह की गंदगी जैसे गोबर, मरे हुए पशु इत्यादि फेंकना।

(2) किसी को ऐसी चीज खाने या पीने के लिए मजबूर करना जो खाने पीने लायक नहीं है।

(3) किसी सार्वजनिक स्थान पर उन्हें नंगा करके या उनके मुंह या शरीर को रंग कर अपमानित करना।

(4) किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला को शारीरिक या मानसिक ढंग से तंग करना अथवा शक्तिशाली स्थिति का फायदा उठाकर इन महिलाओं को परेशान करना।

(5) उनके पीने के पानी के स्रोत जैसे कुएं, झरने आदि को गंदा करना या उन्हें प्रयोग न करने देना और घर–गांव से निकलने को मजबूर करना।

(6) उन्हें परम्परा के अनुसार सार्वजनिक रास्तों व स्थानों का इस्तेमाल करने से रोकना।

यदि उपरोक्त कोई भी अपराध किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य या सदस्यों के साथ किया जाता है तो दोषी को दण्डित करने के लिए इसकी रिपोर्ट तुरन्त पुलिस में करानी होगी। पुलिस के लिए यह बाध्यकर है कि वह रिपोर्ट लिखकर तुरन्त तफ्तीश आरम्भ करे और दोषी को गिरफ्तार करे यदि पुलिस कर्मी ऐसा करने में अनदेखी करता है तो वह भी इस अमिनियम में अपराधी है और उसके विरूद्ध भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों में मुकदमों को शीघ्र सुनवाई करने एवं दोषी को दण्डित करने के लिए विशेष अदालतें बनाई है। चूंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध को गंभीर अपराध माना है इसलिए यह अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट श्रेणी की अदालत न करके विशेष अदालतें करती हैं जिनके पीठासीन अधिकारी, सेशन जज के स्तर के होते हैं। सरकार इन मुकदमों को लड़ने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता देती है और पीड़ित व्यक्ति को आने–जाने का खर्चा भी देती है। इन इत्याचारों से पीड़ित व्यक्ति आर्थिक मुआवजे अर्थात् जो उसे हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति पाने का भी अधिकारी है।

(घ) बंधुआ मजदूरी से कैसे छुटकारा दिलाया जा सकता है ?

बंधुआ मजदूरी गुलामी या दासता है जिसमें मजदूर को किसी धनी व्यक्ति से कुछ पैसे या धन उधार लेने पर उस कर्ज को उतारने के लिए काम करना पड़ता है। इस प्रकार वह मजदूर भी काम करता है और उसके बच्चों और परिवारों से काम करवाया जाता है और कर्ज चुकाने के बदले यह काम करना होता है तथा मजदूरी के बदले कोई पैसा नहीं दिया जाता। खाने के लिए अनाज वगैरह दिया जाता है ताकि वह जिन्दा रह सकें।

गुलामी की इस दासता से छुटकारा देने के उद्देश्य से बंधिक श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम 1976 बनाया गया है जिसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अब बंधुआ नहीं रखा जा सकता और कोई ऐसा करता है तो वह दण्डनीय अपराध है। यह कानून बंधुआ मजदूर को आजाद करने में इस प्रकार सहायक है :

(1) बंधुआ मजदूर अब सभी पुराने कर्जो से मुक्त कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप वह आजाद है क्योंकि अब उसे जिस कर्ज के लिए बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी वह कर्ज मुक्त होने से उसे वापिस नहीं करना होगा और उसके लिए उससे बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकेगी।

(2) यदि ऐसे कर्ज के लिए कोई मुकदमा साहूकार ने न्यायालय में किया है तो वह भी स्वतः खारिज हो जायेगा।

(3) कर्ज के बदले में यदि साहूकार ने कोई सम्पत्ति गिरवी रखी है तो वह भी छोड़ दी जायेगी और साहूकार उस कर्ज की वसूली भी नहीं कर सकता।

(4) यदि बंधुआ मजदूरी करने के समय रहने के लिए जगह मिली है तो उस जगह से बंधुआ होने वाले मजदूर को बेदखल नहीं किया जा सकेगा।

3– महिलाओं के विवाह एवं तलाक संबंधी अधिकार

प्रत्येक युवा को समाज को सुव्यवस्थित करने में सहयोग देना जरूरी है और वह अधिक प्रभावी वैवाहिक विधियों से वह अवगत हो ताकि समाज सेवी संस्थाओं को अपने साथ लेकर समाज निर्माण में अपना सक्रिय योगदान कर सकें।

(1) हिन्दू शादी का कानून :

हिन्दू बौद्ध, जैन, सिख इत्यादि धर्म मानने वाले पुरुष, महिला विवाह पर हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 लागू होता है। आमतौर पर अनुसूचित जनजातियों पर यह कानून लागू नहीं होगा जब तक सरकार विशेष आदेश द्वारा किसी जनजाति पर इसे लागू न करें।

(1) कानूनी विवाह करने के लिए निम्नवत् शर्तों पर पूरा होने आवश्यक हैं :

(क) वर और कन्या दोनों हिन्दू हों अर्थात् वह हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख किसी भी धर्म के मानने वाले हों।

(ख) वर और कन्या की पहले शादी न हुई हो जिसमें वर या कन्या की जीवित पत्नी या पति शामिल हैं अर्थात् तलाकशुदा पति या पत्नी या जिसके पति या पत्नी की मृत्यु हो जाये वह विधिवत् दुबारा शादी कर सकते हैं।

(ग) वर और कन्या एक दूसरे के नजदीकी रिश्तेदार जो चाचा, मामा, मौसी या बुआ के लड़के–लड़कियों के अन्तर्गत नहीं आते। परन्तु जहां पर आपस में ऐसे नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह करने का रिवाज है तो उस स्थिति में नजदीकी रिश्तेदारों में विधिवत् विवाह किया जा सकता है।

(घ) विवाह के समय पुरुष की आयु 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष होना जरूरी है क्योंकि 21 साल की कम आयु के लड़के और 18 साल से कम आयु वाली लड़की का विवाह कानूनी अपराध है परन्तु जो विवाह है वह गैर कानूनी नहीं है।

(ड़) वर और कन्या दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए क्योंकि कोई भी दिमागी रूप से अस्वस्थ व्यक्ति विवाहित जीवन नहीं निभा सकता।

जब हिन्दू वर और कन्या में विवाह हो तो क्या किसी विशेष रस्म का होना जरूरी है। इस संबंध में हिन्दू विवाह अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि वर और कन्या के बीच रीति–रिवाज में सप्तपदी की रीति शामिल है तो उस स्थिति में सप्तपदी की रीति के अनुसार विवाह करना जरूरी है। परन्तु जहां विवाह जैन, बौद्ध या सिक्ख रीति या उन व्यक्तियों के समाज में प्रचलित रिवाज के अनुसार किया जाता है जिससे सप्तपदी की रीति सम्मिलित नहीं है तो ऐसा विवाह भी कानूनी है और बिन सप्तपदी की रीति से सम्पन्न हो सकता है।

हालांकि हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है परन्तु यदि कोई विवाह पंजीकरण कराना चाहता है तो अधिनियम के अन्तर्गत विवाह को बाद में पंजीकृत भी कराया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति विवाह उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करके करता है तो वह विवाह वैध विवाह नहीं कहा जा सकता। परन्तु ऐसे अवैध विवाह से जो संतान उत्पन्न होती है वह अवैध संतान नहीं मानी जायेगी अर्थात् ऐसे लड़का या लड़की अपने माता–पिता की सम्पत्ति को अन्य वैध संतान के रूप में हक प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

(2) हिन्दुओं में महिला द्वारा तलाक प्राप्त करने के आधार :

(1) पति द्वारा व्यभिचार या दूसरे के साथ संभोग करना। यदि कोई पति किसी दूसरी स्त्री के साथ दूसरा विवाह भी कर लेता है वह भी व्यभिचार या दूसरे के साथ संभोग करना माना जायेगा और तलाक पाने का आधार होगा।

(2) परित्याग – यदि कोई पति अपनी पत्नी को बिना उचित कारण के छोड़ देता है तो तलाक प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु ऐसे परित्याग में इस बात का ध्यान रखना होगा कि पति ने अपनी पत्नी को दो वर्ष से अधिक अवधि तक बिना उचित कारण से परित्याग कर रखा है।

(3) क्रूरता – यदि पति पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता का दुर्व्यवहार करे या अत्याचार करे तो पत्नी ऐसे पति से तलाक ले सकती है। पत्नी पर चरित्रहीनता का आरोप लगाना एवं दहेज की मांग करना, गाली–गलौच करना क्रूरता के अंतर्गत आते हैं और तलाक पाने के आधार हैं। यदि पति नपुंसक है तो वह मानसिक क्रूरता के घेरे में आता है और इस आधार पर तलाक प्राप्त किया जा सकता है।

(4) धर्म बदलाव या संन्यास होना : यदि पति धर्म बदल ले या संन्यास ले तो उस आधार पर पत्नी तलाक ले सकती है।

(5) **असाध्य पागलपन** : यदि पति असाध्य पागलपन का शिकार हो जाये या पागलपन के ऐसी स्थिति हो कि कोई भी स्त्री अपना वैवाहिक जीवन चलाना संभव न पाये तो उस स्थिति में पत्नी ऐसे पागलपन के शिकार पति से तलाक प्राप्त करने की अधिकारी है।

(6) **कोढ़ से ग्रस्त होना** : यदि पति कोढ़ की बीमारी से ग्रसित है तो पत्नी को ऐसी बीमारी के आधार पर तलाक प्राप्त करने का अधिकार है।

(7) **सात साल से पति का लापता होना**: यदि पति सात साल या उससे अधिक समय तक लापता है अर्थात् उसकी उसके सगे संबंधियों या उसके मित्रों को भी कोई खबर नहीं है तो सात साल की अवधि के बाद पत्नी ऐसे विवाह में तलाक प्राप्त कर सकती है।

(8) **पति का बलात्कार या बदकारी में दोषी होना** : यदि कोई व्यक्ति शादी के बाद बलात्कार या बदकारी का दोषी है तो उसकी पत्नी इस आधार पर तलाक ले सकती है।

(9) **बाल अवस्था में विवाह होने पर** : क्योंकि बाल अवस्था में विवाह को गैर–कानूनी नहीं माना गया परन्तु ऐसे विवाह को तलाक द्वारा समाप्त करने का अधिकर विशेष परिस्थितियों में पत्नी को दिया गया है। इसके अन्तर्गत यदि किसी लड़की की शादी 15 साल की कम उम्र में हो गई हो तो वह 15 साल की उम्र के बाद और 18 साल की उम्र होने से पहले उस विवाह को मानने से इन्कार कर सकती है और यह विवाह तलाक से समाप्त किया जा सकता है।

(3) विवाहित जीवन के कर्त्तव्यों को कब पूरा करने के लिए कहा जा सकता है :

विवाहित जीवन में पति और पत्नी के एक–दूसरे के प्रति कुछ कर्त्तव्य होते हैं। यदि पति या पत्नी अपने विवाहित कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते तो उनको पूरा कराने के लिए न्यायालय की शरण में जाया जा सकता है। यदि पत्नी के कोई गलती न करने पर भी पति उसका परित्याग कर देता है और अपने वैवाहिक कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता तो न्यायालय ऐसे पति को वैवाहिक कर्त्तव्यों का पालन करने का आदेश पारित करती है और उसका अनुपालन न करने पर पत्नी अपने पति के विरूद्ध तलाक प्राप्त करने की अधिकारी है।

यदि पत्नी ने अपने पति को ठोस कारण से परित्याग किया है अर्थात् पति ने दूसरा विवाह कर लिया है या पति कोढ़ का मरीज है या वह अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करता है या जान–बूझकर लापरवाही बरतता है तो उपरोक्त परिस्थितियों में पति की अर्जी पर न्यायालय पति को अपने वैवाहिक कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

(4) पत्नी पति के आपसी समझौते से विवाह का तलाक करना :

कभी–कभी पति–पत्नी के आपस में इतने मन–मुटाव हो जाते हैं कि विवाह की गाड़ी चलाना असंभव होता है तो दोनों अपनी मर्जी से ऐसे विवाह को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जब वर और कन्या आपसी मर्जी से विवाह समाप्त करना चाहें तो वह आपसी समझौते से तलाक प्राप्त करने के अधिकारी हैं, इसके लिए निम्नलिखित शर्तो का पूरा किया जाना जरूरी होता है :–

(1) पत्नी–पति विवाह होने के बाद कम–से–कम एक साल से अलग रह रहे हों।

(2) पति–पत्नी दोनों सहमत हों कि उनका रहना अब असंभव है।

(3) पत्नी–पति को अदालत में संयुक्त अर्जी देनी जरूरी है और तलाक के लिए किसी कारण का बताना भी जरूरी नहीं है परन्तु ऐसी अर्जी के लिए आपस में कोई दबाव नहीं होना चाहिए।

(4) सहमति से तलाक की अर्जी पर अर्जी देने की तारीख से छः माह तक कोर्ट कोई कार्यवाही नहीं करेगी ताकि इस अवधि में पति–पत्नी को सोचने का मौका मिल जाए और वह यदि अर्जी वापस लेना चाहे तो वह ऐसा कर सकें।

(5) कम–से–कम छः माह बीतने के बाद न्यायालय पति–पत्नी से यह जानकारी करेगी कि वह अपनी सहमति से यह तलाक चाहते हैं और उसके पश्चात् पति–पत्नी से तलाक की डिक्री पारित कर दी जाएगी।

(ख) मुस्लिम शादी का कानून :

मुस्लिम विधि दो हिस्सों में बटी है। सुन्नी मुसलमानों के लिए नफी कानून है और शिया मुसलमानों के लिए इस्नाआशरी कानून है। मुस्लिम विधि में विवाह एक संविदा है जिसमें शादी का प्रस्ताव लड़के की तरफ से किया जाता है और लड़की उसको कबूल या स्वीकार करती है। ऐसे विवाह को निकाह कहा जाता है।

(1) जायज विवाह की आवश्यक शर्तें –

(क) निकाह के वक्त मौलवी और गवाहान की मौजूदगी होना जरूरी है। निकाह के समय मौलवी के पास एक किताब होती है जिस पर मौलवी निकाह दर्ज करते हैं और इस पर दूल्हा और दुल्हन दोनों हस्ताक्षर करते हैं या अंगूठा लगाते हैं और उस पर गवाहान के दस्तखत होते हैं और बाद में मौलवी अपने हस्ताक्षर करता है।

(ख) निकाह का निकाहनामा लिखा जाता है। विवाह में मौलवी दूल्हा और दुल्हन को एक–एक पर्चा देते हैं, जिसमें दूल्हा, दुल्हन की मंजूरी, विवाह की शर्ते और गवाहन की मौजूदगी लिखी होती है और इस पर्चे पर उन सब लोगों के दस्तखत होते हैं जिन्होंने शादी की किताब में गवाह के रूप में दस्तखत किए थे।

(ग) निकाह जायज होने के लिए यह जरूरी है कि मेहर की रकम तय हो और इस रकम का जिक्र निकाहनामा में होना जरूरी है। यह वह रकम होती है जो लड़का, लड़की को शादी के बदले में देता है यह मेहर तुरंत शादी में भी देय होती है और शादी के बाद भी पत्नी जब चाहे इस मेहर को मांग सकती है जो कि लड़के को देना बाध्यकर है। परन्तु ज्यादातर लड़के निकाह के समय यह रकम नहीं देते और लड़का वादा करता है कि वह जब भी मेहर की रकम उसके द्वारा मांगी जाएगी, यह अदा करेगा। यह वादा निकाहनामें और शादी की किताब में लिखा जाता है। उल्लेखनीय है कि जो दहेज और तोहफे ससुराल या मायके वालों से दुल्हन को मिलते हैं, वे सब दुल्हन के हो जाते हैं, उस पर किसी और का हक नहीं होता।

(घ) लड़का और लड़की दोनों का मुसलमान होना जरूरी है और दूल्हा और दुल्हन की आयु कम से कम 15 साल की होनी चाहिए। हालांकि देश के आम कानून के अनुसार लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए परन्तु इस्लामी कानून के तहत यह शादी जायज हो जाती है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 में बाल विवाह को अपराध मानता है और इसके अतंर्गत दण्डित किया जा सकता है।

(ड़) निकाह के समय जहाँ तक गवाहान की मौजूदगी का प्रश्न है सुन्नी विवाह में गवाह बालिग होने चाहिए। 18 साल की आयु से ज्यादा और यदि वह पुरुष दो हों और यदि दोनों पुरुष नहीं हैं तो एक पुरुष और दो औरतें भी गवाह बन सकते है परन्तु गैर मुसलमानों की शादी में गवाहों की मौजूदगी जरूरी नहीं है।

(च) मुस्लिम निकाह में यह जरूरी है कि शादी के समय लड़का और लड़की दोनों दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक हों क्योंकि पागल से शादी करना जायज नहीं है।

(2) निकाह की किस्में –

मुस्लिम शादी तीन तरह की होती हैं –

(1) सही यानि जायज शादी : यह शादी कानूनी तौर पर जायज शादी होती हैं जिसमें इस्लामी शादी के सारे शरीयत अर्थात् निकाह, मौलवी और बाकी शर्ते पूरी की जाती है।

(2) बातिल यानि नाजायज शादी : यह वह शादी है जिसमें कोई जरूरी इस्लामी शरा सुरा नह हुई हो। ऐसी शादी कानूनी तौर पर नाजायज है।

(3) कासिद : यदि शादी में किसी इस्लामी शरा की कमी हो अर्थात् कोई मुस्लिम व्यक्ति हिन्दू लड़की से शादी कर ले परन्तु बाद में यह कमी पूरी हो जाए अर्थात् बाद में लड़की मुसलमान बन जाए तो शादी को जायज करार दिया जाता है। इस शादी को कासिद शादी बोलते हैं।

उपरोक्त तीन किस्म की शादियों में शियाओं में केवल शादी जायज या नाजायज मानी जाती है, तीसरे किस्म की कासिद शादी को इनके यहां कोई मान्यता नहीं है।

(3) मुस्लिम महिला कब तलाक ले सकती है :

1. **अदालत के बिना तलाक** – मुसलमान औरत कुछ परिस्थितियों में अदालत के बिना अपने पति से तलाक प्राप्त कर सकती है जो इस प्रकार है –

(1) तलाक–ए–तकबीज – इसमें पति अपनी पत्नी को तलाक देने का हक दे सकता है। यह हक शादी के समय, शादी के पहले या शादी के बाद आपसी समझौते से दिया जा सकता है। इस समझौते में यह भी तय किया जाता है कि कोई खास घटना घटने पर बीबी शौहर की तरफ से तलाक ले सकती है। इसमें ऐसा माना जाएगा कि पति ने ही पत्नी को तलाक दिया है। ऐसेमें पति को पत्नी का खर्चा देना होगा।

(2) **खुला** – इस तरह के तलाक से पत्नी और पति यदि शादी–शुदा की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो वे आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। इसमें पत्नी को तलाक की कीमत चुकानी होती है अर्थात् अपना मेहर माफ करना होता है और उस कीमत के बदले पति उसे तलाक देता है।

2. अदालत के जरिए तलाक लेना –

मुस्लिम विधि में पुरुष को तलाक लेना बहुत ही आसान है। उनको केवल तलाक कहकर विवाह को समाप्त करने का अधिकार दिया गया है जिसमें न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहती जबकि महिला को तलाक प्राप्त करने के लिए बहुत ही पाबंदी है। कोई भी मुस्लिम महिला न्यायालय से तलाक केवल मात्र मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 में दिए गए आधारों को सिद्ध होने पर ही प्राप्त कर सकती है। जिन आधार पर तलाक प्राप्त किया जा सकता है, वह इस प्रकार है :–

(1) यदि पति–पत्नी को मारे–पीटे या और परेशान करे,

(2) पत्नी की यदि पति जायदाद बेच दे या उसमें अपना हक न जताने दे,

(3) जब एक से ज्यादा बीबी हो तो सबको बराबरी का हक न दे,

(4) यदि पति–पत्नी से जबर्दस्ती करे कि वह गैर मर्दो से नाजायज ताल्लुकात रखे।

(5) यदि पति लम्बे अरसे तक गायब हो जाए तब भी पत्नी तलाक प्राप्त कर सकती है बशर्ते गायब होने की अवधि कम से कम चार वर्ष की होनी चाहिए।

(6) यदि पति–पत्नी को रहन–सहन का खर्च दो साल तक न दे तो इस आधार पर भी पत्नी–पति के विरूद्ध न्यायालय से तलाक प्राप्त कर सकती है।

(8) यदि पति ने किसी अपराध में सात साल तक सजा काटी है तो इस आधार पर पत्नी तलाक प्राप्त करने की अधिकारी है।

(9) यदि पति पागल हो जाए और यह पागलपन कम से कम दो साल का हो तो पत्नी तलाक प्राप्त कर सकती है।

(10) यदि पति नपुंसक है और विवाहित जीवन गुजारने लायक न हो तो पत्नी को तलाक मिल सकता है।

(11) यदि पति को कोढ़ या रतिज रोग की बीमारी हो तो पत्नी तलाक ले सकती है। यदि किसी लड़की की शादी 15 साल की आयु पूरी होने से पहले कर दी गई हो और उसने शादी की रात पति के साथ न बिताई हो तो 18 साल की आयु पूरी होने से पहले वह तलाक के लिए न्यायालय से अनुरोध कर सकती है।

इनके अतिरिक्त मुस्लिम विधि के अंतर्गत यदि पति ने पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध रखने का झूठा आरोप लगाया हो या पति ने अपना धर्म बदल दिया हो तो इस आधार पर भी न्यायालय से पत्नी तलाक प्राप्त करने की अधिकारी है।

(4) पत्नी को अपने वैवाहिक कर्त्तव्य निभाने पर कब मजबूर नहीं किया जा सकता –

यदि पति अपनी पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है या मेहर मांगने पर नहीं देता या अपने दायित्वों का पालन नहीं करता तो पत्नी को अपने पति के साथ रहने या वैवाहिक कर्त्तव्यों को निभाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

(5) तलाक होने पर पत्नी को क्या अधिकार हैं ?

तलाक होने पर पत्नी अपने पति से निम्न हक पाने की अधिकारी है –

(1) निकाहनामें में दी गई मेहर की बकाई रकम,

(2) शादी के समय बीबी को दिए गए सभी तोहफे,

(3) यदि बच्चों की देखभाल पत्नी करती है तो उन बच्चों के दो साल की उम्र होने तक का खर्चा,

(4) इद्दत के दौरान का खर्चा जो कि तीन महावारी तक को होता है और यदि औरत के पेट में बच्चा है तो बच्चे के जन्म तक की अवधि का होता है। यदि इनको पति नहीं देता तो पत्नी संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आवेदन देकर इन सबको पति से प्राप्त कर सकती है।

(ग) ईसाई विवाह का कानून –

ईसाई धर्म के लोगों का अपना निजी कानून है जो कि भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872 है। चूंकि यह बहुत पुराना हो चुका है इसलिए नया अधिनियम बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस अधिनियम के अनुसार विधिवत् विवाह के लिए वर और कन्या ईसाई धर्म को मानते हों जो कि रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्ट्रैट दोनों में से एक हो सकता है। यदि दोनों में एक भी ईसाई धर्म का है तब भी यह विधिवत् विवाह हो सकता है। वह भारतीय क्रिश्चियन है जिससे अभिप्राय ऐसे भारतीय से है जिन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया है।

(1) विधिवत् विवाह की शर्ते –

(क) वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष और कन्या की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए,

(ख) विवाह के समय वर या कन्या दोनों के कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होने चाहिए। तलाकशुदा पति या पत्नी दुबारा विवाह कर सकते हैं।

(ग) वर और कन्या को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

(घ) पति और पत्नी का नजदीकी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए अर्थात् जैसा कि भाई–बहन, या माँ–बेटा।

(ड) दोनों का ईसाई होना जरूरी नहीं है अर्थात् यदि पति–पत्नी में से एक ईसाई है तो भी इस अधिनियम में विधिवत् विवाह हो सकता है।

(2) विवाह में कौन से रीति–रिवाज वैध हैं –

ईसाई कानून के अनुसार तीन प्रकार से विवाह सम्पादित किया जा सकता है –

(क) धार्मिक विवाह : यदि चर्च द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा विवाह सम्पन्न कराया जाता है। यदि किसी पादरी द्वारा विवाह चर्च के नियमों, धार्मिक, कृत्यों, रस्मों और रिवाजों के अनुसार सम्पन्न कराया जाए अथवा ऐसे किसी धर्म पुरोहित द्वारा जिसे राज्य सरकार ने नियुक्त किया हो। ऐसे विवाह के अपने कुछ नियम होते हैं। जैसे कि वर या कन्या को धर्म पुरोहित को लिखित सूचना देना, विवाह में दो गवाहों की उपस्थिति और धर्म पुरोहित के सामने घोषणा करना कि इस विवाह में कोई कानूनी अड़चन नहीं है।

(ख) धर्म निरेपक्ष विवाह : यह विवाह सरकारी विवाह रजिस्ट्रार द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इसमें भी लिखित सूचना ओर दो गवाहान की उपस्थिति जरूरी है। रजिस्ट्रार के सामने वर या वधू को यह घोषणा करनी पड़ती है कि इस विवाह में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो विवाह के प्रमाण–पत्र देने के लिए इस अधिनियम के अनुसार नियुक्त किया गया हो, विवाह करवा सकता है। इस प्रकार से केवल भारतीय क्रिश्चियन विवाह कर सकते हैं रोमन कैथोलिक इस ढंग से विवाह नहीं करवा सकते।

(3) ईसाई विवाह में पत्नी किन–किन आधारों पर तलाक ले सकती है ?

कोई भी ईसाई पत्नी निम्नलिखित आधारों में से किसी एक आधार पर तलाक प्राप्त कर सकती है –

(1) धर्म बदलना : यदि पति ने अपना धर्म त्याग कर दूसरा धर्म अपनाया हो और दूसरी शादी कर ली हो तो इस आधार पर पत्नी तलाक प्राप्त कर सकती है।

(2) द्वि–विवाह और व्यभिचार : यदि शादी हो जाने के बाद पति का किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध हुआ हो अर्थात् व्यभिचार किया गया हो और दूसरी शादी करता है तो पत्नी तलाक ले सकती है।

(3) व्यभिचार और क्रूरता : यदि पति–पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करे या अत्याचार करे और व्यभिचारी हो तो पत्नी तलाक ले सकती है। क्रूरता शारीरिक एवम् मानसिक किसी में एक हो सकती है। मारपीट करना शारीरिक क्रूरता है और गैर–वफादारी का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता है।

(4) अगम्यागमनी व्यभिचार : यदि ईसाई पति ऐसी किसी स्त्री से शारीरिक संबंध रखता है जो स्त्री उस व्यक्ति के नजदीकी रिश्ते में हो अर्थात् बहन, मां इत्यादि हो तो इस आधार पर पत्नी तलाक लेने की अधिकारी है।

(5) व्यभिचार और परित्याग : बिना किसी पर्याप्त कारण पति या पत्नी का एक दूसरे से अलग रहने और अपने वैवाहिक संबंधों का पालन न करने को परित्याग कहते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि पति ने पत्नी को दो साल से अधिक अवधि से छोड़ा हो और व्यभिचार का दोषी हो अर्थात् परित्याग के साथ–साथ व्यभिचार का भी दोषी होना जरूरी है।

(6) पति बलात्कार या बदकारी का दोषी हो : यदि विवाह के बाद पति ने बलात्कार का कोई अपराध किया है या यह बदकारी का दोषी है तो उसकी पत्नी इस आधार पर तलाक प्राप्त करने की अधिकारी है।

उल्लेखनीय है कि ईसाई कानून के अन्तर्गत पति और पत्नी के तलाक लेने के अधिकार अलग–अलग हैं। स्त्री को क्रूरता, परित्याग, द्वि विवाह के आधारों पर तलाक लेने के लिए यह साबित करना पड़ता है कि उसका पति व्यभिचारी है जबकि हिन्दू विवाह अधिनियम में किसी एक आधार पर तलाक प्राप्त किया जा सकता

है। महिला के प्रति इस अपमानता को समाप्त करने के लिए नया कानून अभी बनाने के लिए बिल संसद में लम्बित है जो कि निकट भविष्य में पारित होने के बाद इस असमानता को समाप्त कर देगा। परन्तु वर्तमान स्थिति यह है कि ईसाई महिला को अपने पति का दुर्व्यवहार या परित्याग सहना पड़ेगा और यह अपने आप में तलाक के आधार नहीं है जब तक कि इनके साथ पति व्यभिचार का दोषी न हो। यह अपने आप में अनुचित है क्योंकि व्यभिचार को साबित करना बहुत ही कठिन है।

4. दूसरी शादी करना कानूनी अपराध :

हिन्दू एवम् ईसाई धर्म को मानने वाले पति एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकते और पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना अपराध है। केवल मात्र मुस्लिम विधि एक मुसलमान पति को एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार देते हैं जिसके फलस्वरूप चार पत्नियों को कानूनन रख सकता है। परन्तु जहां तक हिन्दू और ईसाई पति का प्रश्न है उसको दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है।

यदि पत्नी के जीते पति ने दूसरी शादी कर ली है तो पहली पत्नी चाहे तो पति के खिलाफ थाने में या मजिस्ट्रेट के कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकती है और ऐसे पति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 में सात साल कैद ओर जुर्माने की सजा हो सकती है और ऐसी दूसरी शादी को कानून में वैध नहीं माना जाता। इसी प्रकार यदि पत्नी की सहमति से भी पति दूसरा विवाह कर लेता है तो भी यह शादी गैर कानूनी होगी। जहां तक ऐसी अवैध शादी से हुई संतान का प्रश्न है वह पिता की सम्पत्ति से एक वैध संतान के रूप में सभी अधिकार पा सकते हैं।

(घ) बाल विवाह कानूनी अपराध :

यह सर्वविदित है कि बच्चों की शादी घोर अन्याय है क्योंकि यह बच्चे घड़े की तरह होते हैं जो कि वैवाहिक जीवन की कठोरता को सहन करने एवं अपने दायित्वों को निभाने में सक्षम नहीं होते। इसलिए एक बाल विवाह से कमजोर संतान एवं परिवार की नींव बनती है जो कि समाज के लिए घातक है। अतः यह समाज सेवी संस्थान का ही कर्त्तव्य है कि यह जन–प्रचार से इसकी रोक–थाम करे अपितु सजग प्रशासन को भी अपना सक्रिय सहयोग देना जरूरी है। बाल–अवरोध कानून की जानकारी हर महिला को होनी परम आवश्यक है। इस बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1923 के महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं :–

18 साल से ऊपर का लेकिन 21 साल से कम उम्र का लड़का अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे 15 दिन तक का कारावास और 1,000/– रू0 जुर्माना या दोनों इस अधिनियम की धारा–3 में किए जा सकते हैं। इसी प्रकार यदि 21 साल से अधिक उम्र का लड़का 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे धारा–4 में तीन माह की कैद और जुर्माना किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह करवाने वाले माता–पिता, रिश्तेदार, बाराती, विवाह करवाने वाले पंडित को भी बाल–विवाह करवाने में अपना सक्रिय योगदान देने के परिणाम स्वरूप इस अधिनियम के अंतर्गत तीन माह की कैद और जुर्माना हो सकता है।

(ड़) बाल विवाह कैसे रोका जा सकता है :

यदि किसी व्यक्ति की जानकारी में है कि बाल विवाह करवाया जा रहा है तो वह इसकी सूचना संबंधित इलाके के मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे सकता है जिससे वह पुलिस एवं मजिस्ट्रेट का दायित्व बन जाता है कि वह बाल विवाह को तुरन्त रूकवायें क्योंकि ऐसा आदेश पारित करने में इलाका मजिस्ट्रेट विधिवत् सक्षम है। यदि ऐसे आदेश होने के बावजूद भी बाल–विवाह रोका नहीं जाता तो उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को तीन माह का कारावास एवं 1,000/– रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। इसलिए केवल पुलिस या मजिस्ट्रेट का ही दायित्व नहीं है बल्कि बाल विवाह करवाने से संबंधित कोई रिश्तेदार, दोस्त या जानकार को चाहिए कि वह इसकी जानकारी पुलिस थाने में दे या मजिस्ट्रेट को दे ताकि ऐसे बाल विवाह की कुप्रथा को इस अधिनियम की सहायता से समाप्त किया जा सके।

4. महिलाओं की अभिरक्षा, भरण–पोषण एवं सम्पत्ति अधिकार

महिलाओं को यह महत्वपूर्ण अधिकार है जिसका विवरण निम्न है :–

1. वैवाहिक महिलाओं के बच्चों की अभिरक्षा के अधिकार :–

एक सुखी परिवार की आधारशिला पति–पत्नी में आपसी सौहार्द होता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे से कटते हैं तो परिवार टूटने लगते हैं और इसका वास्तविक कठोराघात बच्चों पर होता है। इसलिए पति पत्नी के आपसी झगड़ों में बच्चों की सुरक्षा माता के पास होगी या पिता के पास इसको निष्पक्ष रूप से न्यायालय ही जान सकता है। अतः न्यायालय के आदेश पर ही बच्चों की अभिरक्षा निर्भर करती है जिसमें बच्चों के हित को देखना सर्वोपरि होता है। इसलिए पति पत्नी दोनों में से किसी को भी न्यायालय बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभिरक्षा रखने का आदेश पारित कर सकती है।

यदि तलाक के मुकदमें के दौरान बच्चों की अभिरक्षा का प्रश्न है तो संबंधित न्यायालय से महिला आवेदन देकर बच्चे को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए अनुरोध कर सकती है। परन्तु जहां आपसी पति पत्नी का झगड़ा अभी न्यायालय में लम्बित न हो तो बच्चों को अभिरक्षा में रखने के लिए संरक्षक अधिनियम 1890 के अतंर्गत जिला न्यायालय में आवेदन करना होगा और बच्चे के हित को सर्वोपरि देखते हुए न्यायालय अभिरक्षा संबंधी आदेश पारित कर सकती है।

अभिरक्षा के संबंध में साधारण विधि यह है कि बच्चा अगर छोटा होता है तो मां को कानूनी अधिकार है कि सात साल तक होने तक बच्चा उसके पास रहे। सभी हालात को देखकर अदालत तय करेगी कि बच्चा मां के पास रहेगा या पिता के पास और यह भी जानने की कोशिश करेगी कि बच्चा खुद किसके पास रहना पंसद करेगा। यदि मां की अपनी कोई आमदनी न हो तो भी बच्चे का हित अगर मां के पास रहने में है तो बच्चा मां को ही दिया जायेगा और पिता को उसका पूरा खर्चा देना होगा।

2. महिलाओं के भरण–पोषण संबंधी पति से अधिकार :

प्रत्येक महिला चाहे वे किसी भी धर्म की हो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–125 के अंतर्गत अपने पति से भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है। इस धारा के अंतर्गत महिला को सक्षम न्यायालय में एक साधारण आवेदन देकर अपने पति के विरूद्ध भरण–पोषण की मांग करनी होती है। न्यायालय का यह दायित्व है कि वह भरण–पोषण के आवेदन को छह माह के अंदर यथाशीघ्र तय करने का प्रयास करें। इस आवेदन के निस्तारण करने में कोई कानूनी पेचीदगियों को न अपनाकर साधारण जांच के रूप में तुरन्त तय करना होता है। यदि भरण–पोषण आवेदन के तय होने के बीच देना जरूरी समझा जाता है तो न्यायालय आवेदन तय होने तक अंतरिम भरण–पोषण देने का आदेश पारित कर सकती है। उपरोक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–125 के अंतर्गत भरण–पोषण प्राप्त करने के साथ–साथ हिन्दू महिलाएं यदि चाहें तो वह हिन्दू भरण–पोषण अधिनियम के अंतर्गत एवं जहां तलाक संबंधी मुकदमा चल रहा हो तो हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा–24 में भरण–पोषण प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त यदि हिन्दू पति पत्नी का तलाक भी हो जाए तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–125 में भरण–पोषण प्राप्त करने की हकदार है और साथ–साथ हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा–25 में तलाक होने पर भी यह स्थायी भरण–पोषण प्राप्त कर सकती है।

जहां एक मुस्लिम विवाहित महिला का प्रश्न है वह तलाक होने पर मेहर की बकाया राशि, इद्दत के दौरान खर्चा, शादी के वक्त बीबी को दिए गए सभी तोहफे यदि किसी ने दिए हों, इत्यादि प्राप्त करने की अधिकारी है। चूंकि भरण–पोषण की अवधि इद्दत तक सीमित रखी गई इसलिए इद्दत के अर्थ को समझना जरूरी है। इद्दत का अभिप्रायः यह सुनिश्चित करना है कि पत्नी गर्भवती तो नहीं है और इस इद्दत की अवधि तीन महावारी तक होती है और यदि औरत को महावारी न हो और औरत के पेट में बच्चा हो तो बच्चे के जन्म तक होती है। मुस्लिम विधि में पत्नी तलाक के बाद केवल इद्दत की अवधि तक ही पति से खर्चा प्राप्त करने की अधिकारी है। अब प्रश्न यह उठता है कि तलाक के बाद यह मुस्लिम महिला कहां जाये और किससे अपना भरण–पोषण प्राप्त करें। इस संबंध में मुस्लिम विधि यह कहती है कि ऐसे तलाक शुदा मुस्लिम महिला को अपने मां–बाप, बच्चों या रिश्तेदार जो उसकी जायदाद के वारिस होंगे उनसे भरण–पोषण की मांग कर सकती है।

जब कोई मुस्लिम महिला भरण–पोषण संबंधी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–125 के लाभ को सुनिश्चित करवाना चाहती है तो उसके लिए एक उपाय यह है कि वह अपने निकाहनामा में यह संयुक्त घोषणा सम्मिलित करवा दे कि 'दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–125' में अर्जी देने से तलाकशुदा औरत शौहर से खर्चा ले सकती है तो तत्पश्चात् केवल इद्दत अवधि तक ही खर्चा नहीं प्राप्त किया जा सकता बल्कि इस दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–125 का लाभ प्राप्त करते हुए तलाकशुदा मुस्लिम अन्य महिलाओं की तरह असीमित अवधि तक अपने तलाकशुदा पति से भरण–पोषण प्राप्त कर सकती है।

3. महिला का भिन्न धर्मों के पुरुष से विधिवत् आपस में विवाह कैसे किया जा सकता है ?

भारत एक धर्म–निरपेक्ष देश है और धर्म निरपेक्षता को बल देने के लिए यह उचित होगा कि समाज को भी धर्म निरपेक्ष बनाया जाये अतः भिन्न धर्मो के स्त्री–पुरुषों में यदि आपस में विवाह होगे तो बहुत हद तक सांप्रदायिक समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। इसलिए यदि हिन्दू धर्म की स्त्री मुस्लिम धर्म के पुरुष से विवाह करना चाहती है या मुस्लिम लड़की हिन्दु लड़के से विवाह करना चाहती है तो यह कानूनन विवाह कर सकते हैं। ऐसे विवाह को विधिबद्ध बनाने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 सृजित किया गया है।

आपसी धर्म में किसी हिन्दू महिला की मुस्लिम पुरुष से शादी करने या ईसाई की मुस्लिम से शादी करने या हिन्दू की ईसाई से शादी करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 में निम्नलिखित आवश्यक शर्तो को पूरा करना जरूरी है :–

(1) किसी भी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए,

(2) कोई भी पक्षकार जड़ या पागल न हो,

(3) पुरुष ने इक्कीस वर्ष की आयु और स्त्री ने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो,

(4) पक्षकारों में प्रतिषिद्धि कोटि की नातेदारी न हो,

(5) जहां विवाह जम्मू–कश्मीर राज्य में अनुष्ठापित किया गया हो वहां दोनों पक्षकार उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवासित भारत का नागरिक हो।

इसके लिए प्रक्रिया में शादी करने हेतु तत्काल लिखित सूचना जिले के विवाह अधिकारी को देनी होगी जिसमें यह उल्लेख करना जरूरी है कि सूचना दिए जाने की तारीख से ठीक पहले तीस दिन से अधिक अवधि से वहां निवास किया है। तत्पश्चात् सूचना को प्रकाशित किया जाएगा और तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि किसी के द्वारा इस विवाह के प्रति कोई आपत्ति नहीं की जाती तो विवाह अधिकारी अपने कार्यालय से या ऐसे अन्य स्थान पर जहाँ दोनों पक्षकार चाहें ओर ऐसी शर्तो पर तथा ऐसा अतिरिक्त खर्च देने पर जिन्हें विदित किया जाएगा विवाह अनुष्ठापित करेगा। विवाह किसी भी रूप में जिसे पक्षकार अपनाना पसंद करें अनुष्ठापित किया जायेगा। परन्तु जब एक प्रत्यक्ष दूसरे पक्षकार से विवाह अधिकारी और तीन साथियों की उपस्थिति में तथा ऐसी भाषा में जिसे पक्षकार समझ सकें यह न कहें कि 'मैं (क) तुम (ख) को अपनी विधिपूर्ण पत्नी स्वीकार करता हूं (या अपना विधिपूर्ण पति स्वीकार कर रही हूं) तक वह विवाह पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जब विवाह अनुष्ठापित हो जाए तब विवाह अधिकारी इसका प्रमाण अपने विवाह रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा और ऐसे प्रमाण–पत्र पर विवाह के पक्षकार और तीनों साथी हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार विवाह प्रमाण पुस्तक में विवाह अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र प्रविष्ट किए जाने पर वह प्रमाण–पत्र इस तथ्य का निश्चयात्मक साक्ष्य समझा जायेगा कि इस अधिनियम के अधीन विवाह अनुष्ठापित हो गया है तथा साक्षियों के हस्ताक्षरों के संबंध में औपचारिकता का अनुपालन हो गया है।

4. महिलाओं के सम्पत्ति संबंधी अधिकार :–

संविधान के अनुच्छेद–44 में सामान्य संहिता सृजित करने का महत्वपूर्ण निर्देशक तत्व दिया गया है जो दायित्व सरकार द्वारा अभी पूरा नहीं किया गया। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग कराने के साथ–साथ उन्हें उपलब्ध कराना भी उतना ही आवश्यक है। यही कारण है कि संविधान के अनुच्छेद 39–क में महिलाओं को निःशुल्क विधि सहायता देने का महत्वपूर्ण निर्देशक तत्व उपबंधित किया गया है जिसके अंतर्गत यह दायित्व प्रत्येक राज्य सरकार का है कि वह जिले में कानूनी सहायता समितियां गठित करके महिलाओं, बच्चों एवं अनुसूचित जातियों और जनजातियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। महिलाओं के सम्पत्ति संबंधी क्या अधिकार है वह हिन्दू विधि एवं मुस्लिम विधि में भिन्न–भिन्न हैं अतः दोनों का अलग से उल्लेख करना उचित होगा।

मौटे तौर पर अब कानून सभी पुरुषों एवं महिलाओं को बराबर अधिकार देता है और प्रत्येक महिला अपने नाम से सम्पत्ति खरीद सकती है और उसे सम्पत्ति का मालिक होने का हक है। कोई भी महिला अपनी सम्पत्ति का जो चाहे करे और पुरुषों की तरह सम्पत्ति खरीदे या बेचे। उन्हें अपने माता–पिता या दूसरे रिश्तेदारों की सम्पत्ति का हिस्सा भी मिल सकता है परन्तु हिस्सा कितना मिल सकता है यह महिला से संबंधित निजी विधि पर निर्भर करता है जिसमें हिन्दू विधि एवं मुस्लिम विधि भिन्न–भिन्न है।

5. हिन्दू स्त्रियों के सम्पत्ति अधिकार :–

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसने अपनी सम्पत्ति की वसीयत नहीं छोड़ी तो ऐसी सम्पत्ति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार मृतक के बेटे, उसकी बेटियों, उसकी पत्नी, उसकी मां के बीच बराबर हिस्से में बंटेंगी। यदि ऐसे व्यक्ति के मरे हुए बेटे के बच्चे हैं या बेटियां हैं और उस मरे बेटे की विधवा है या मरे हुए बेटे के पोता है तो उस मृतक व्यक्ति के मरे हुए बेटे का हिस्सा उसके जीवित बेटों, बेटियों और विधवा के बीच बराबर हिस्सा होगा।

कोई पुरुष या महिला अपनी छोड़ी सम्पत्ति चाहे वह स्व अर्जित है या पैतृक में हिस्सा है के बाबत् वसीयत करने की अधिकारी है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु के बाद वह सम्पत्ति केवल उसी व्यक्ति को मिलेगी जिनके नाम वसीयत की गई हैं यदि किसी महिला को अपने मृतक पति की सम्पत्ति में हिस्सा मिला है तो वह उसकी मालिक हो जाती है जिसको वह जैसे प्रयोग करना चाहे वह कर सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि अगर ऐसी विधवा महिला दुबारा शादी कर लेती है तो गुजरे हुए पति से मिली सम्पत्ति उसकी अपनी ही रहेगी।

किसी हिन्दू महिला के मरने पर उसकी सम्पत्ति उसके वारिसों को मिलेगी जिसमें उसका बेटा, बेटी, पति बराबर का हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त यदि ऐसी महिला का बेटा मर चुका है और उस मरे हुए बेटे का बेटा या बेटी या उनके बच्चे मृतक बेटे के हिस्से की सम्पत्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। हिन्दु महिला को पैतृक आवसीय भवन में विभाजन का अधिकार है। हिन्दू विधवा को अपने मृत पति की सम्पत्ति में भी अधिकार चाहे उसने पुनः शादी कर ली है।

6. हिन्दू महिला का स्त्री धन :–

गहने या अन्य उपहार जो महिला को विवाह में मिलते हैं, वह उसका स्त्री धन कहलाता है। ऐसी स्त्री धन पर हमेशा स्त्री का ही अधिकार होता है। ऐसे धन पर केवल मात्र महिला का अधिकार ही रहता है और जैसे चाहे वह उसका प्रयोग कर सकती है।

7. हिन्दू खानदानी सम्पत्ति में महिला का अधिकार :–

खानदानी सम्पत्ति से अभिप्राय वह सम्पत्ति से है जो हिन्दू पुरुष को अपने पुरुष पूर्वजों से मिलती है। हिन्दू पुरुष व महिला को जन्म से ही अपने परिवार की खानदानी सम्पत्ति पर अधिकार होता है। यह व्यवस्था हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में धारा 6 में 2005 के संषोधन के उपरान्त दी गई है। हिन्दू महिला का हिन्दू पुरूष के समान ही पैतृक सम्पत्ति में अधिकार है।

8. हिन्दू महिला अपनी सम्पत्ति की वसीयत कर सकती है :–

कोई भी महिला चाहे वह विवाहिता हो या अविवाहित, अपनी निजी सम्पत्ति की वसीयत कर सकती है। जब भी किसी महिला द्वारा वसीयत लिखनी हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह उसमें अपना नाम और पता लिखे और अपने पिता या पति का भी नाम लिखे। जिस सम्पत्ति की वसीयत करना चाहती है, उसका विस्तृत उल्लेख किया जाए और यह जरूर लिखना चाहिए कि वह वसीयत अपनी खुली मर्जी से बिना दबाव के और पूरे होश में लिख रही है यह भी ध्यान रखे कि वसीयत की तारीख के साथ–साथ अपने हस्ताक्षर को और दो गवाहन के हस्ताक्षर नाम और पति सहित होना परम आवश्यक है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वसीयत किसी साधारण कागज पर लिखी जा सकती है और इसके लिए कोई विशेषतः तकनीकी भाषा की जरूरत नहीं हैं। इसलिये बिना वकील की सहायता के वसीयत लिखी जा सकती है। पर यह महत्वपूर्ण है कि किसी वसीयत को पंजीकृत करना जरूरी है।

9. मुस्लिम महिला का जायदाद का हक :–

मुसलमानों में शादी, तलाक और जायदाद के निजी मामलों में इस्लामी कानून लागू होता है। सुन्नी मुसलमानों पर हनफी कानून लागू होता है जिसके अनुसार सम्पत्ति के वारिस केवल यह रिश्तेदार होते हैं जिनका रिश्ता मरे हुये व्यक्ति से मर्द जात के जरिए हो यानि बेटी के बेटे का सम्पत्ति में कोई हक नहीं होगा। शिया मुसलमानों में ऐसा नहीं है क्योंकि वारिस का रिश्ता औरत के जरिए भी माना जाता है जिसके अन्तर्गत बेटी का बेटा, बेटी की बेटी इत्यादि भी वारिस हैं और सम्पत्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

मुस्लिम विधि में विरासत पाने के शरए सारे करीबी रिश्तेदारों का बराबर हक है और आदमी का औरत से दुगुना हिस्सा होता है। अगर मरने वाले का रिश्ता किसी के जरिए हो तो जब तक वह जरिया जिन्दा है, तब तक दूसरा वारिस नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में दूर के रिश्तेदारों के हक कट जाते हैं। जायदाद का बंटवारा और हिस्सा इन बातों पर निर्भर है कि कितने वारिस हैं और मरे हुए व्यक्ति से उनकी क्या रिश्तेदारी है।

10. मुस्लिम महिला किन–किन रूपों में वारिस बन सकती है :–

मुसलमान विधवा महिला का अपने मृतक पति की सम्पत्ति पर हक है। यदि पति के कोई औलाद नहीं तो विधवा को हिस्सा मिलेगा। अगर मृतक पति के बच्चे है तो उस स्थिति में विधवा को कुल आठवां हिस्सा मिलेगा।

मुस्लिम विधि में बेटी को अपने मृतक पिता की जायदाद का वारिस माना जाता है। यदि उसके पति ने कोई बेटा नहीं छोड़ा तो बेटी को बाप की जायदाद में आधा हिस्सा पाने की अधिकारी है। यदि मृतक पिता ने बेटा छोड़ा है तो उस स्थिति में भाई का हमेशा बहन से दुगुना हिस्सा होता है।

मुस्लिम महिला को अपने बेटे की जायदाद पर भी वारिस होने का हक है। इसलिए यदि बेटे की कोई औलाद न हो तो मां को एक तिहाई हिस्सा मिलेगा और यदि बेटे की औलाद हो तो उसके मरने पर मां को छटा हिस्सा मिलेगा।

11. मुस्लिम महिला का मेहर पाने का अधिकार :–

मेहर वह रकम होती है जो शादी होने पर पति–पत्नी को देता है इसलिए मेहर इस्लामी शादी का जरूरी हिस्सा होता है। मेहर की रकम शादी से पहले या शादी के वक्त तय की जाती है। इस मेहर की पत्नी को अधिकार है कि वह जब चाहे इसकी तुरन्त मांग कर सकती है। जबकि मुवज्जल मेहर से अभिप्राय वह रकम जो कि पत्नी को तलाक होने पर मिलती है या तब मिलती है जब पति का देहान्त हो जाता है। मेहर की रकम पति पर कर्ज मानी जाती है और यदि पति यह धनराशि न दे तो पत्नी इस धनराशि को कर्ज के रूप में

न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर सकती है। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पति ने अपने जीवनकाल में मेहर की रकम न दी तो पत्नी को अपने मृतक पति की सम्पत्ति में हिस्से के अतिरिक्त मेहर की रकम भी मिलेगी।

12. मुस्लिम महिला का नफ्का अधिकार :–

नफ्का वह है जो मुस्लिम पति अपनी पत्नी के रहन–सहन और खाने, कपड़े पर खर्च करता है और इसका दायित्व पति पर होता है। पत्नी नफ्का अधिकार के तौर पर अपने पति से मांग कर सकती है। यदि पति अपने दायित्व की पूर्ति नहीं करता तो इसको वह अदालत की मदद से प्राप्त कर सकती है। नफ्का की राशि पति की आय स्रोत के आधार पर और पत्नी की जरूरतों और रहन–सहन के तरीके को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है।

13. मुस्लिम महिला का हिबा करने का अधिकार :–

मुस्लिम विधि में हिबा एक तरह का तोहफा होता है जो किसी मुस्लिम महिला या पुरुष द्वारा मुफ्त कोई चीज या पैसा या जायदाद दी जाती है और लेने वाला व्यक्ति उस चीज, पैसा या जायदाद को स्वीकार करता है और इसके देने के बदले में कुछ नहीं लिया जाता, वह हिबा होता है। कोई भी स्वस्थ महिला जो दिमागी तौर पर स्वस्थ है, अपनी संपत्ति का हिबा करने के या हिबा में संपत्ति प्राप्त करने की अधिकारी है। परन्तु हिबा करते समय कोई जोर–जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिए। हिबा की स्वीकृति प्रकट करना जरूरी होता है। इसलिए यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मकान हिबा करके उसकी चाबियाँ दे, दे तो वह मकान हिबा माना जाएगा और वह पत्नी की संपत्ति हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि हिबा का लिखित होना जरूरी नहीं है। केवल यह आवश्यक है कि हिबा की सारी शर्ते जिनका उपरोक्त वर्णन किया गया है, वह पूरी कर ली गई है परन्तु यदि लिखित हिबा कर दिया जाए तो अधिक सुविधाजनक हो सकता है।

14. मुस्लिम महिला को वसीयत करने का अधिकार :–

मुसलमान पुरुष अपनी संपत्ति के एक तिहाई से अधिक वसीयत नहीं कर सकता परन्तु जहां तक मुस्लिम महिला का प्रश्न है, यदि मुस्लिम महिला का वारिस उसका केवल पति है और कोई सगा रिश्तेदार नहीं है तो उस स्थिति में मुस्लिम महिला दो तिहाई हिस्से की वसीयत कर सकती है। वैसे वह भी केवल मात्र एक तिहाई हिस्से की अपनी संपत्ति वसीयत कर सकती है।

उल्लेखनीय है कि यह एक तिहाई का हिसाब तब लगाया जाता है जब क्रियाकर्म और कर्ज उतार दिए जाते है और उसके बाद मृतक की जो संपत्ति बचती है। यदि मियां–बीबी अपनी शादी विशेष विवाह कानून के अंतर्गत विवाह रजिस्टर करवाते हैं तो उस स्थिति में वह जिसे अपनी पूरी जायदाद की वसीयत कर सकते है। मुस्लिम विधि में वसीयत मुँह–जुबानी या लिखित किसी रूप में की जा सकती है। परन्तु यह जरूरी है कि वसीयत करने का इरादा साफ होना चाहिए। परन्तु लिखित वसीयत पक्की होती है इसलिए वसीयत लिखना ज्यादा सुविधाजनक होता है। वसीयत किसी भी आम कागज पर लिखी जा सकती है।

15. मुस्लिम तलाक–शुदा पत्नी के साथ भेदभाव क्यों ?

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज की आधारशिला परिवार होती है और परिवार को जन्म देने वाली संस्था विवाह है। कभी हमने सोचा कि बच्चे न हों तो इस समाज का क्या रूप होगा ? बच्चे ही इस सृष्टि एवं प्रकृति के चलते रहने या यूं कहा जाए कि सुहावनेपन का द्योतक हैं। जहां बच्चों पर प्राकृतिक की शोभा टिकी हुई है, वहां बच्चों का भविष्य सुखी परिवार पर निर्भर करता है और यह परिवार का जन्म तब होता है जब स्त्री और पुरुष विवाह के सूत्र में बंधकर वैवाहिक जीवन प्रारम्भ करते हैं। विवाह को सभी धर्म के लोग मान्यता देते है तथा विवाह से पति–पत्नी के बीच संभोग द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होती है, उसकी प्रक्रिया भी एक ही है और हर धर्म दम्पत्तियों को चाहे वह हिन्दू ईसाई या मुस्लिम हो, संभोग की प्रक्रिया से गुजरना होता है, तभी वैवाहिक जीवन प्रारम्भ होता है। इस विवाह के सूत्र में बंधने के लिए दोनों पक्षकारों की रजामंदी होती है और विवाह एक संविदा के रूप में प्रारम्भ होता है एवं इस संविदा को तलाक के द्वारा भंग भी किया जा सकता है।

जब किन्हीं दो पक्षकारों के बीच में कोई संविदा होती है तो यह समझा जाता है कि वह स्वेच्छा से एवं समता के आधार पर हुई है। परन्तु मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह रूपी संविदा में जहां पुरुष पक्षकार को चार विवाह करने का विशेष अधिकार दिया गया है, वहां स्त्री पक्षकार को केवल एक ही विवाह करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त पुरुष विवाह के बंधन में बंधने के बाद अपनी पत्नी को बिना किसी कारण तलाक दे सकता है जिससे मुस्लिम पत्नी उसकी पत्नी नहीं रहती है और उसको अपने रिश्तेदारों के आश्रय पर जीवन बिताना पड़ता है। उदाहरणतया यदि किसी समृद्ध मुस्लिम व्यक्ति ने एक खूबसूरत गरीब मुस्लिम लड़की से विवाह करके उसको अपने घर लाया और कुछ साल अपने पास रखने के बाद अब वह मुस्लिम व्यक्ति उस पत्नी को रखना नहीं चाहता तो केवल तलाक देकर अपने रिश्ते को समाप्त कर सकता है। जब एक बार तलाक हो जाता है तो उसके पश्चात पत्नी पर यह दायित्व कि वह निश्चित अवधि के लिए इद्दत में रहे और इद्दत की अवधि समाप्त होने के पश्चात पति को कोई दायित्व नहीं है कि तलाकशुदा पत्नी के प्रति किसी प्रकार का कोई दायित्व उठाए। यदि वह गरीब परिवार की लड़की पति द्वारा तलाक दिए जाने पर बेसहारा है

और उसके पास मेहर का धन पर्याप्त नहीं है तो भले ही वह दर–दर भटके परंतु उसके पति का या दायित्व नहीं है कि वह उसकी कोई सहायता करे। वैवाहिक जीवन का पूरा सुख तो पति ले और बिना पत्नी की कोई गलती के तलाक देकर अपना रिश्ता तोड़ दे, तो अब यह तलाकशुदा पत्नी कहां जाए।

किसी भी स्त्री का आभूषण उसका घर, पति एवं बच्चे होते हैं। सच तो यह है कि स्त्री पति के बिना जंगल में भटकी हुई हिरनी की तरह है जिस पर कोई भी हमला करके अपना शिकार बना सकता है। स्त्री प्रायः केवल एक बार विवाह करती है, दूसरी बार का वैवाहिक जीवन स्त्री के लिए नरक के समान होता है। इसलिए यह देखा गया है कि कोई भी तलाकशुदा स्त्री सामान्यतः दूसरी शादी नहीं करती। इसके विपरीत पुरुष जो स्त्री के मुकाबले अधिक स्वार्थी होता है, वह किसी सुंदर स्त्री को देखकर जल्दी भटक जाता है। वह स्वार्थी सुंदरता का पुजारी होता है जबकि स्त्री त्याग की देवी होती है। इसलिए जहां पर हिन्दू, ईसाई या अन्य किसी धर्म की किसी पत्नी को तलाक दे दिया गया होता है तो उसमें पति के दायित्व पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाते अपितु उस तलाकशुदा पत्नी को यह अधिकार होता है कि यदि वह स्वयं अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है तो उसको यह कानूनी अधिकार है कि वह अपने पति से जिसने उसको तलाक दे दिया है, ऐसा भरण–पोषण का खर्चा प्राप्त करें।

परन्तु एक मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी ही दुर्भाग्यशाली होती है जिसको कानून ने अपने पति के विरूद्ध भरण–पोषण के अधिकार से वंचित किया है। जहां पर मुस्लिम पत्नी को हर समय तलाक के भय में जीवित रहना पड़ता है, वहां भरण–पोषण का अधिकार छीनकर उसकी असुरक्षा को और कमजोर करना कहां तक उचित होगा। इस संबंध में तलाकशुदा पत्नी के क्या अधिकार होंगे, उसके बाबत् अधिनियम बनाया गया है जो कि मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 से जाना जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी को अपने पति से केवल उस अवधि तक भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार है जो अवधि इद्दत की होती है। अतः जहां तलाक के बाद इद्दत की अवधि समाप्त हुई, उसके पश्चात तलाकशुदा पत्नी पति से किसी प्रकार का भरण–पोषण प्राप्त नहीं कर सकती। उदाहरणतया यदि कोई मुस्लिम स्त्री विवाह के समय बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता से मोहित होकर किसी मुस्लिम व्यक्ति ने उससे विवाह कर लिया। दुर्भाग्यवश विवाह के कुछ वर्ष पश्चात् उसका स्वास्थ्य ठीक न रहे और पति उससे यह सुख न पा रहा हो जो कि उसको पहले मिलता था तो उससे वह अपना रिश्ता तलाक देकर तोड़ पाता है। अब इस मुस्लिम पत्नी के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं कि वह इस तलाक से बच सके और बिना किसी कुसूर के तलाक की तलवार उसके रिश्ते को तोड़ देती है। जहां वह स्त्री एक ओर बीमार है ओर उसके इलाज के लिए इसे धन की आवश्यकता है, वहां तलाक पर जो कुछ मेहर की राशि उसको मिलती है, वह खर्च करने के बाद भी वह अपना भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकार नहीं है। जहां इद्दत की अवधि समाप्त हुई, वहां पर तलाकशुदा पत्नी को यह अधिकार नहीं है कि भले वह भूख से मर रही हो, उसके सिर पर कोई छत न हो और फिर भी यह पति जो कि धनवान है, उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह ऐसी बेसहारा स्त्री को, कभी उसकी पत्नी थी, जिससे उसने संबंध किया था, उसकी सहायता करे। यदि किसी घर का कुत्ता बीमार होने पर उसको घर वाले घर से निकाल देते हैं तो वह भूले–भटके घर में फिर आ जाए तो उस पर दया करके कुत्ते का मालिक रोटी डाल देता है। शायद उसको इस बात का आभास हो जाता है कि कभी तो वह उस कुत्ते का मलिक था। परन्तु इस अधिनियम में तो तलाकशुदा पत्नी को इससे भी नीचे गिरा दिया है। तलाकशुदा पत्नी अपने पति से किसी प्रकार का भरण–पोषण नहीं प्राप्त कर सकती चाहे वह बिना रोटी, कपड़ों एवं मकान के मर रही हो। बल्कि अधिनियम यह प्रावधानित करता है कि तलाकशुदा पत्नी की तलाक होने के पश्चात देखभाल करने का दायित्व उस पत्नी के रिश्तेदारों का है। क्या विडम्बना है कि पति जो धनवान है जिसने पत्नी की भरपूर जवानी का मजा लिया है और अब उसका मन भर जाए तो वह तलाक द्वारा अपना रिश्ता सदा के लिये समाप्त कर दे। यहां तक कि यदि तलाकशुदा पत्नी भूख–प्यास या बेघर होने की पीड़ा से सहायता की मांग करे तो उसको भी अनदेखी कर दे क्योंकि कानून ऐसा करने का उसको अधिकार देता है। मानवता कानून के बिना रह सकती परन्तु कानून मानवता के बिना नहीं पनप सकता। फिर कानून द्वारा मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी के साथ दानवता जैसा व्यवहार क्यों ? क्या तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी से पति के विरूद्ध भरण–पोषण के अधिकार को छीनना उचित है।

भाग – 2
दण्डिक विधि में महिलाओं की सुरक्षा

क– दहेज के अत्याचार से महिला की सुरक्षा का उपाय :–

महिला का शोषण सदियों से होता रहा है। इस शोषण में सबसे बड़ा योगदान घिनौनी दहेज परम्परा का रहा है जिसको समाप्त करने के उद्देश्य से दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 सृजित किया गया। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात अब दहेज लेना ही अपराध नहीं है अपितु दहेज देना भी अपराध बना दिया गया है। इसी प्रकार दहेज माँगना या दहेज लेने या देने में सहायता करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम में पांच साल तक की कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

दहेज को गंभीर अपराध मानते हुए माँगने वाले को कम से कम से छह माह का कारावास और यदि कोई दहेज का विज्ञापन देता है तो वह भी इतने ही अपराध से दण्डनीय होगा। आमतौर पर शादी के रिश्ते किसी बिचौलिए या रिश्तेदार की सहायता से तैयार किए जाते हैं। चूंकि यह दलाल या रिश्तेदार दहेज की रकम तय करवाता है इसलिए इस अधिनियम में यह भी अपराधी है। शादी से पहले भी यदि दहेज की माँग की जाती है तो यह भी अपराध होगा।

परन्तु जहाँ दहेज कानून के अनुसार दिया जाए तो वह अपराध नहीं होगा अर्थात् दिए गए उपहारों की एक सूची बनानी होगी और ऐसे उपहारों की माँग न की गई हो या उनके लिए दबाव न डाला गया है। वधू को दिए जाने वाले उपहार पारम्परिक तौर के होने चाहिए। उनकी कीमत देने वाले की हैसियत या आर्थिक स्थिति के हिसाब से होनी चाहिए।

महिला के लिए दहेज संबंधी कुछ विशेष सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। यदि दहेज शादी के पहले दिया गया हो तो शादी की तारीख से तीन महीने के अंदर दहेज लड़की को देना होगा। यदि दहेज शादी के समय या शादी के बाद लिया गया हो तो लेने की तारीख से तीन महीने के अंदर लड़की को देना चाहिए। अगर दहेज जब लिया गया था, लड़की की आयु 15 वर्ष की थी अर्थात् वह अवयस्क थी तो 18 साल की उम्र होने के तीन महीने के अंदर उसे दहेज दिया जाना चाहिए।

दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 में यह भी व्यवस्था की गई है कि जब तक दहेज लड़की के अलावा किसी और के पास होता है जब तक वह उस व्यक्ति के ट्रस्ट में होता है जिसका मतलब है कि उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि दहेज के सामान या रकम को सुरक्षित रखेगा और उचित समय पर लड़की को लौटा दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कानून द्वारा तय किए गए समय से दहेज लड़की को नहीं लौटाता तो वह इस अधिनियम में अपराध है और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा किया जा सकता है जिसमें ऐसे व्यक्ति को छहः माह से दो साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। दहेज लड़की की अपनी अमानत होती है, जिसकी वह मालिक है। यह महिला के स्त्री धन में आता है। दहेज संबंधी अपराधों को दण्डित करने का यह अधिनियम महिला को इसमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति दहेज संबंधी अपराध करता है तो उसकी रिपोर्ट तुरन्त थाने में करनी चाहिए ताकि दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके अन्वेषण प्रारम्भ किया जा सके। इसकी रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति जो दहेज से पीड़ित हो या किसी दहेज से पीड़ित व्यक्ति के माता–पिता या अन्य रिश्तेदार या सरकार द्वारा मान्य कोई समाज सेवी संस्था करवा सकती है। दहेज संबंधी अपराध संज्ञेय अपराध होते हैं अर्थात् पुलिस को इसकी रिपोर्ट मिलने पर वह मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना सीधे अन्वेषण प्रारम्भ कर सकती है परन्तु जहां तक आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रश्न है, वह पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त दहेज संबंधी अपराध अशमनीय है अर्थात् इसको राजीनामें से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके साथ–साथ यह अपराध अजमानतीय है अर्थात् मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जमानत पर नहीं छोडा जा सकता।

ख– दहेज के लिए तंग करने या जलाने वाले अपराधियों के विरूद्ध विशेष कानूनी उपबंध :–

यह कटु सत्य है कि दहेज को समाप्त करने का कानून बने 57 साल हो गए हैं परन्तु दहेज का जहर अभी भी फैल रहा है और कई लड़कियों को तंग किया जाता है और कई तो जला भी दी जाती है। कई लड़कियां इन अत्याचारों को सह नहीं पाती और वे आत्महत्या कर लेती हैं। इन सब स्थितियों से निपटने के लिए फौजदारी कानूनों में कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं जिनसे दहेज के लिए लड़कियों को तंग करने वाले अपराधियों को दण्ड दिया जा सके।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–क में यदि किसी औरत का पति या पति के रिश्तेदार उसके साथ क्रूर व्यवहार करें अर्थात् उसे मारे, सताएं या ऐसे सताने से औरत के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो या ऐसा व्यवहार करे जिससे औरत आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए तो वह इस धारा में अपराध होगा जिसमें तीन साल तक का कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। क्रूरता से व्यवहार करने के अन्तर्गत किसी औरत को अगर धन या सम्पत्ति लाने के लिए परेशान किया जाता है या उससे बुरा बर्ताव किया जाता है तो यह भी क्रूरता होगी और वह भी दण्डनीय अपराध है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–ख के अन्तर्गत यदि किसी महिला के साथ दहेज के लिए ऐसा क्रूर व्यवहार होता है और शादी के सात साल के अंदर किसी गैर प्राकृतिक कारण से महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या अन्य ससुराल वालों को उसकी मृत्यु के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो कि इस धारा में कम से कम सात साल के कारावास से दण्डित किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114–ख के अन्तर्गत यह भी उपबंध है कि दहेज के कारण हुई मृत्यु की स्थिति में अदालत यह मानकर चलेगी कि औरत की मृत्यु पति या ससुराल वालों के कारण हुई और इसको साबित करना पति एवं ससुराल वालों पर होगा कि महिला की अप्राकृतिक ढंग से हुई मृत्यु में उन्होंने दहेज में कभी परेशान नहीं

किया था और वह इसके लिए दोषी नहीं है। अभियोजन पक्ष को केवल यह साबित करना होगा कि महिला के पति एवं रिश्तेदारों ने ऐसी अप्राकृतिक मृत्यु से पहले दहेज के लिए परेशान किया था।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 जो कि दोषी व्यक्ति को दण्ड देने की प्रक्रिया उपंबधित करती है उसमें धारा 498–क के अन्तर्गत यदि किसी शादी–शुदा महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार होता है तो उसकी शिकायत लड़की खुद या लड़की के माता–पिता, भाई या बहन रिपोर्ट कर सकते हैं। परन्तु जहां तक रिश्तेदारों द्वारा रिपोर्ट करने का प्रश्न है, वह केवल कोर्ट की इजाजत से ही की जा सकती है। इसी प्रकार यदि कोई महिला आत्महत्या करती है या ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है तो उसकी रिपोर्ट पुलिस को तुरन्त की जानी चाहिए और पुलिस अधिकारियों द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाही करना बाध्यकर है।

पुलिस स्टेशन का भार साधक अधिकारी ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसकी सूचना नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को करेगा और स्वयं घटना स्थल पर जाकर मृत्यु के कारणों की समीक्षा करेगा और मरी हुई महिला का पंचनामा तैयार करके और लाश को सील करके सिविल सर्जन के पास शव परीक्षण के लिए भेजगा। पुलिस अधिकारी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंचनामें में मृत्यु का क्या कारण प्रतीत होता है, घाव किस तरह के हैं, लाश की क्या स्थिति थी, इत्यादि बातों का उल्लेख करना जरूरी है। ऐसे तैयार किए गए पंचनामे पर मोहल्ले के दो जाने माने व्यक्तियों, जिनके सामने पंचनामा तैयार किया गया, उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त होना जरूरी है।

मजिस्ट्रेट ऐसी अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–176 के अंतर्गत स्वतंत्र प्रशासनिक जांच करता है और आवश्यकता पड़ने पर अप्राकृतिक मृत्यु यदि दहेज के कारण विवाह के सात वर्ष के अंदर हुई है तो दोषी को दण्ड दिलाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा–304–बी में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करनी होगी।

ग– महिला के प्रति बलात्कार और अपहरण से सम्बन्धित अपराधों से कानूनी सुरक्षा :–

(1) बलात्कार का अपराध :– यदि किसी महिला के साथ किसी पुरुष द्वारा उसकी इच्छा या सहमति के बिना संभोग किया जाए या संभोग के लिए डरा–धमका कर उसकी सहमति ली जाए या उससे यह कहकर संभोग किया जाए कि वह पुरुष उसका पति है जबकि वास्तव में वह पति नहीं है या ऐसी स्त्री के साथ संभोग किया जाए जो दिमागी रूप से कमजोर हो या जो किसी तरह नशे के प्रभाव में हो तो ऐसी प्रत्येक स्थिति में किया जाने वाला संभोग बलात्कार कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त सोलह साल से कमउम्र की किसी लड़की के साथ यदि संभोग उसकी मर्जी या उसके मर्जी के खिलाफ किसी भी दशा में किया जाए तो यह भी बलात्कार का अपराध माना जाता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 में बलात्कार एक दण्डनीय अपराध है जिसमें अपराधी को उम्र कैद हो सकती है।

(2) पति पत्नी के संभोग को कब बलात्कार कहा जाएगा :– यदि पत्नी की आयु विवाह के समय 15 वर्ष से कम हो तो पति पत्नी से जबरदस्ती संभोग करता है तो वह बलात्कार का दोषी है। इसी प्रकार यदि न्यायालय के आदेश से पति पत्नी अलग रह रहे हों और पति पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध संभोग करता है तो वह बलात्कार का अपराधी है। क्योंकि छोटी उम्र मे लड़किया संभोग क्रिया सहन नहीं कर पाती और कई बार उन्हें गंभीर चोट भी आ सकती है और कभी–कभी तो उनकी मृत्यु भी होजाती है और लड़कियां संभोग क्रिया को भय की नजर से देखती है। इसलिए उनकी सुरक्षा हेतु विशेष कानूनी व्यवस्था जरूरी समझी गई। इसी प्रकार पति पत्नी एक–दूसरे के बराबर भागीदार हैं पत्नी पति की दास नहीं कि जब चाहे पति उससे जोर–जबर्दस्ती करेगा। महिला को विवाह में बराबरी देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है कि पति पत्नी से जोर जबर्दस्ती करके संभोग नहीं कर सकता और यदि दोनों न्यायालय के आदेशों से अलग–अलग रह रहें हो तो उस स्थिति में पति यदि पत्नी से जबर्दस्ती संभोग करता है तो वह बलात्कारी है जिसमें उसको उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। बलात्कार के अपराध में केवल पुरुष को ही अपराधी माना जाता है चाहे वह कम उम्र का क्यों न हो, यदि वह जानता है कि वह क्या कुकर्म कर रहा है। इसी प्रकार यदि कोई दूसरा व्यक्ति चाहे वह स्त्री ही क्यों न हो किसी पुरुष को बलात्कार करने में मदद करे तो उसे बलात्कार में सहयोग होने के कारण दण्डित किया जा सकता है।

(3) बलात्कार होने पर महिला को क्या करना चाहिए – चूंकि बलात्कार का दारोमदार मुख्यतः संभोग की परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है इसलिए महिला को चाहिए कि डॉक्टरी जांच होने तक वह पहने हुए कपड़ों को न धोए और न ही उसे बदले। इस बात की सावधानी भी बरतनी चाहिए कि वह न नहाए। बलात्कार की शिकार हुई महिला को इस घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को बतानी चाहिए और उनको साथ लेकर पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिएं चूंकि डॉक्टरी जांच जरूरी होती है इसलिए पास के डॉक्टर के यहाँ जांच करवा ली जाए अन्यथा पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस को डॉक्टर से जांच करवानी जरूरी होती है। इस डॉक्टर जांच में लेडी डॉक्टर स्त्री की जांच करके देखेंगे कि उसके आसपास वीर्य है या

नहीं। इसके अतिरिक्त स्त्री की जांघ या आसपास चोटों की जांच करेंगे तथा स्त्री की मानसिक स्थिति भी देखेंगे जिन सबका उल्लेख डॉक्टर के अपनी जांच रिपोर्ट में करना होगा।

(4) बलात्कार अपराध में पुलिस का दायित्व क्या है ? – थाने के भार साधक अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि बलात्कार की घटना को वह गंभीरता से ले और इसकी रिपोर्ट तुरन्त लिखकर उस पर कार्यवाही शुरू करे। जब थाने में रिपोर्ट लिखी जाए तो उसको स्त्री को पढ़कर बताया जाएगा कि उसमें क्या लिखा है और तत्पश्चात् हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने के लिए कहा जाएगा। यदि रिपोर्ट लिखित रूप में है तो उसको उसी रूप में पुलिस अपने यहां लिखेगी। शिकायत लिखने के बाद पुलिस का यह कर्त्तव्य है कि वह उसकी एक प्रति उस रिपोर्ट करने वाली स्त्री को भी दे दे। यदि पुलिस स्टेशन का अधिकारी या दरोगा स्त्री की रिपोर्ट लिखने से इन्कार करता है तो पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत करनी चाहिए या स्वयं मिलना चाहिए ताकि इस पर पुलिस अधीक्षक तुरन्त कार्यवाही कर सकें। यदि फिर भी पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर दें तो स्थानीय मजिस्ट्रेट के यहां इसकी रिपोर्ट करनी होगी।

यदि बलात्कार करने वाला पुरुष प्रभावशाली या बलशाली है और पुलिस एवं स्थानीय मजिस्ट्रेट स्त्री की रिपोर्ट लिखने से इन्कार कर दे तो उस स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री, पुलिस महानिरीक्षक, स्थानीय विधायक एवं जिला अधिकारी को लिखित रिपोर्ट दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि उचित समझें तो इस घटना की रिपोर्ट किसी समाज सेवी या स्थानीय या राष्ट्रीय समाचार–पत्र को भी पत्र लिखकर की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि जो स्त्री बलात्कार की शिकार होती है, उसकी स्थिति कितनीदयनीय होती है इसलिए उसके विश्वास एवं सम्मान को जगाना जरूरी होता है। यही कारण है कि पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि जांच में जहां तक जरूरी होगा, स्त्री के घर जाकर ही उससे पूछताछ करनी चाहिए और उसे थाने पर आने के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। यदि कोई पुलिस अधिकारी परेशान करता है या उचित व्यवहार नहीं करता तो पुलिस कर्मी को दण्डित किया जा सकता है।

(5) न्यायालय की कार्यवाही में स्त्री के लिए विशेष व्यवस्था – जिस स्त्री का बलात्कार होता है, उसकी मानसिक स्थिति बहुत घबराई हुई होती है इसलिए उसमें न्यायालय को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। चूंकि स्त्री कोर्ट में यह कहने में घबराती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ क्योंकि वह सोचती है कि लोग क्या कहेंगे और इन बातों से घबराहट में सारी जरूरी बातें कोर्ट में बिखर सकने का डर रहता है। इसलिए ऐसे मामलों की सुनवाई में न्यायालय आम जनता को सुनवाई देखने या सुनने की अनुमति नहीं देता और यह कैमरा कार्यवाही अर्थात् बंद न्यायालय में की जाती है। न्यायालय को इस बात का भी ध्यान रखना होता हे कि जो स्त्री बलात्कार का शिकार हुई है, उससे उल्टे और परेशान करने वाले उलझनपूर्ण प्रश्न वकील न पूछे और पूर्ण सत्यता को साक्ष्य में लाया जा सकें। यदि किसी स्त्री से संभोग हवालात में या इन्य संरक्षण में जैसे कि अस्पताल, नारी निकेतन बगैरा बगैरह में किया जाता है तो उस स्थिति में उस पुरुष को यह साबित करना होता है कि वह निर्दोष है और स्त्री को अपने बलात्कार का सबूत नहीं देना होता। न्यायालय बलात्कार के अपराध में अन्य स्वतंत्र गवाह के बिना केवल बलात्कार की पीड़ित स्त्री के अकेले साक्ष्य पर भी अपराधी को दोषी सिद्ध करने में सक्षम है। अतः बलात्कार करने वाले को सात से दस साल या उम्र कैद भी दी जा सकती है। यदि कोई पुरुष यह पता होने पर कि स्त्री गर्भवती है, उसके साथ बलात्कार करता है तो उसे कम से कम दस वर्ष की सजा होगी। यदि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से साथ बलात्कार किया जाता है तो अपराधी को कम से कम दस वर्ष का कारावास जो कि उम्र कैद तक हो सकता है दिया जाएगा। जब कई पुरुष एक या अधिक स्त्रियों में एक समय बलात्कार करते हैं जिसे सामूहिक बलात्कार कहा जाता है तो हर अपराधी को कम से कम 10 वर्ष की सजा होगी।

(6) अपहरण अपराध में महिलाओं की सुरक्षा –

यदि कोई लड़की जिसकी आयु 18 साल से कम है यानि वह अवयस्क है और उसके संरक्षक का अधिकार उसके माता–पिता का है तो ऐसी लड़की को कोई बहला–फुसलाकर ले जाए, चाहे उसमें उस लड़की की मर्जी ही क्यों न हो, वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 में अपहरण का अपराधी है। इसी प्रकार यदि किसी लड़की को जबर्दस्ती उठा लिया जाता है तो वह भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 में गंभीर अपराध है। इस प्रकार किसी अपहरण होने की स्थिति में इसकी रिपोर्ट तुरन्त थाने पर करनी होगी जिसमें अपराधी का नाम, पता इत्यादि सभी ब्यौरा देना जरूरी है। जिसको उठाया गया है, फुसलाकर भगाया गया है, उसकी बावत् भी पर्याप्त विवरण देना होगा ताकि वह बरामद करने में पुलिस को सहायक हो सके। इसी प्रकार यदि किसी महिला को जबर्दस्ती कब्जे में रखा जाता है तो वह भी अपराध है। इसके लिये मजिस्ट्रेट से भी अनुरोध किया जाता है। यहां तक कि उच्च न्यायालय में भी सीधे रिट की जा सकती है।

(7) वेश्यावृत्ति से महिलाओं की कानूनी रक्षा –

महिलाओं को वैश्यावृत्ति से बचाने का जो पहले कानून था, वह वेश्यावृत्ति को दबाना था जबकि नया अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 वेश्यावृत्ति को समाप्त करने का है अर्थात् जो वेश्यावृत्ति की जड़ महिलाओं की आर्थिक गरीबी है उसका निवारण करने हेतु महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बनाना

है ताकि वह आर्थिक मजबूरी के कारण अपने शरीर को बेचने के लिए मजबूर न हो सके। प्रायः जो पहले पुलिस के माध्यम से मजबूर वेश्याओं पर अत्याचार किए जाते थे, वह नए अधिनियम के आने से सामाजिक संस्थाओं द्वारा उनके उत्थान के प्रयत्न किए गए। वेश्यावृत्ति का व्यापार करने वाली महिला एवं दलालों को दण्ड देने पर अब अधिक जोर दिया जाएगा ताकि बेसहारा गरीब वेश्याओं पर यह अत्याचार न किए जाएं।

अब प्रशासन एवं विधायिका द्वारा यह अनुभव किया जाने लगा है कि वेश्यावृत्ति के समाधान के लिए पुलिस की ताकत वेश्याओं के विरूद्ध प्रयोग न करके वेश्यावृत्ति के दलालों के दमन में इसका प्रयोग करना होगा और वेश्यावृत्ति को सामाजिक एवं आर्थिक मंच पर निवारण करने का प्रयत्न किया जाएगा। चूंकि वेश्यावृत्ति करने वाले और कराने वाले दलाल वास्तव में महिला की आर्थिक एवं सामाजिक असमर्थता का लाभ उठाते हैं इसलिए इनको दण्डित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुलिस अधिकारी की शक्तियां देने की व्यवस्था की गई है ताकि पुलिस इन पैसे वाले असामाजिक तत्वों के प्रभाव में आकर वेश्याओं को केवल मोहरा न बनाएं ताकि वेश्यावृत्ति का बाजार गरम न रहे।

नए अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 में बच्चे से अभिप्राय वह व्यक्ति होगा जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है और अवयस्क का अर्थ जिसकी आयु 16 से 18 वर्ष की है और 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वयस्क की परिभाषा दी गई है। अब वेश्यावृत्ति की परिभाषा को भी और व्यापक कर दिया गया है जो व्यक्ति वेश्यावृत्ति की आय पर निर्भर करते हैं, उनको दण्डित करने की भी व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। यदि कोई व्यक्ति बच्चे या अवयस्क से वेश्यावृत्ति करके अपनी जीविका कमाता है तो उसे गंभीर अपराध मानते हुए कम से कम 7 वर्ष का कारावास जो कि 10 वर्ष तक हो सकता है, दण्डित करने की व्यवस्था की गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को वेश्यावृत्ति के लिए उकसाता है ओर धंधे में कमाता है, ऐसे व्यक्ति को कम से कम तीन वर्ष का कारावास जो कि 10 वर्ष तक हो सकता है, दण्डित करने की व्यवस्था की गई है। महिलाओं की वेश्यावृत्ति से छुटकारा पाने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कदम नए अधिनियम में लिखा गया है कि वास्तविक अपराधी ग्राहक और दलाल होता है वेश्या नहीं। इसलिए इसको दण्डित करने पर बल देना और वेश्या को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उचित उपाय कराने पर बल दिया गया है। अब वेश्यावृत्ति संबंधी सभी अपराधों को संगीन बनाया गया है अर्थात् विशेष पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी एवं जहां वेश्यावृत्ति कराई जाती हैं, उस स्थान की तलाशी लेने में सक्षम हैं। अपराधियों को शीघ्र दण्ड दिलाने के उद्देश्य से संक्षिप्त विचारण की भी व्यवस्था की गई है। यदि कहीं महिला का निर्दयता से समाज में शोषण हुआ है तो वह वेश्यावृत्ति ही है जिसको अब निवारण करने के जो नए कदम इस अधिनियम में उठाए गए हैं, वह निश्चय ही महिला के सम्मान को बढ़ाने में मील का पत्थर सिद्ध होंगे।

(8) पुलिस से संबंधित महिला के अधिकार –

पुलिस को कानून के घेरे में अंदर अपनी शक्तियों को प्रयोग करना होता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में पुलिस को महिला के गिरफ्तार करने की क्या शक्तियां हैं, अथवा उनको महिला के प्रति कैसे व्यवहार करना है इत्यादि संबंधित विधि का विस्तृत वर्णन किया गया है। यदि पुलिस दुर्व्यवहार करती है तो उसे दण्ड भी दिया जा सकता है। इसलिए महिला को अपने अधिकार के बिना झिझक दावा करना चाहिए। इस प्रकार भारतीय दण्ड संहिता में यह लिखा है कि कौन–कौन से अपराध होते हैं और उनकी सजा क्या है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में इन अपराधों को रोकने एवं अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को कार्यवाही कैसे करनी होगी।

पुलिस को गिरफ्तारी के समय जोर–जबर्दस्ती करना गैर–कानूनी है। पुलिस को यह भी बताना होगा कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और जुर्म क्या है ? सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं है कि शिकायत दर्ज हुई है। किसी महिला को थाने ले जाने के लिए हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। यदि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति स्वयं अपने आपको पुलिस हिरासत में दे दे तो उसे हाथ लगाना भी उचित नहीं होगा। हथकड़ी केवल उनको लगाई जा सकती है जो जाने–माने अपराधी हों या जिनके भागने की आशंका हो। पुलिस संज्ञेय अपराधें के अन्तर्गत बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि गिरफ्तारी के समय पुलिस वारंट दिखाए। गिरफ्तारी के समय या बाद में महिला किसी वकील को बुलाकर कानूनी सहायता ले सकती है। अपनी सुरक्षा के लिए अपने जानने वाले या रिश्तेदारों को अपने साथ पुलिस स्टेशन जाने का अधिकार है। गिरफ्तार करने पर यह पुलिस बाध्यकर है कि वह 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करे। क्योंकि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना गैर–कानूनी है। जिसे हिरासत में दुर्व्यवहार करना, सताना, मारपीट करना या किसी अन्य तरह की यातना देना गंभीर अपराध है। अगर पुलिस स्टेशन पर कोई मारपीट होती है तो तुरंत डॉक्टरी जांच की मांग करनी चाहिए और इस घटना की शिकायत मजिस्ट्रेट को करनी चाहिए। किसी महिला को महिला पुलिस द्वारा ही गिरफ्तार किया जा सकता है और पुलिस स्टेशन पर महिला पुलिस उपस्थित रहे, इस बात की भी मांग करनी चाहिए। वैसे तो अब कई मुख्य नगरों में महिला थाने का भी सृजन किया है, जहां महिला से संबंधी अपराधों का अन्वेषण इत्यादि सभी महिला पुलिस ही करती है।

जब भी पुलिस महिला को किसी अपराध में गिरफ्तार करे तो वह अपराध की प्रकृति जमानतीय या अजमानतीय दोनों में से एक होगा। कौन से अपराध जमानतीय होते हैं और कौन से अजमानतीय, इसका पूर्ण विवरण दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिया होता है। जमानतीय अपराध से अभिप्राय ऐसे अपराध से है जिसमें जमानत की अधिकार के रूप में मांग की जा सकती है। अर्थात् यदि पुलिस जमानतीय अपराध में गिरफ्तार करती है तो यह पुलिस का दायित्व है कि जमानत देने पर गिरफ्तार किए व्यक्ति को तुरन्त छोड़ दे जबकि अजमानतीय अपराध में गिरफ्तार किए जाने पर जमानत को अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। पुलिस को किसी तलाशी के समय सामान्यतः आस–पास रहने वाले किन्हीं अपक्षपाती और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का होना जरूरी है। तलाशी लेने के बाद पंचनामा बनाना जरूरी होता है जिसमें तलाशी से बरामद की गई वस्तुओं का पूर्ण विवरण दिया जाता है। इस पंचनामे पर उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिनकी उपस्थिति में तलाशी ली गई जो कि प्रायः दो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। इस पंचनामे की एक प्रति उस व्यक्ति को देना जरूरी होता है जिसकी तलाशी की गई हो।

यदि महिला को किसी अपराध में पुलिस ने हिरासत में लिया है और वह वकील करने में असमर्थ है तो वह महिला निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की अधिकारी है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में कानूनी सहायता एवं परामर्श समिति गठित होती है जिनका अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होता है। इसके अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा लम्बित होता है तो उसका भी यह कर्त्तव्य है कि वह भी निःशुल्क वकील सरकारी खर्चे पर उपलब्ध कराए।

यदि महिला की शिकायत थानाध्यक्ष नहीं लिखते हैं तो वह पुलिस अधीक्षक से मिलकर इसकी रिपोर्ट कर सकती है या वह अलग से लिखित रिपोर्ट सीधे पुलिस अधीक्षक को भी भेज सकती है। यदि फिर भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो महिला सीधे मजिस्ट्रेट के यहां भी रिपोर्ट देकर जांच का अनुरोध कर सकती है। पुलिस के यहां जो रिपोर्ट लिखी जाती है, उसे प्रथम इत्तला रिपोर्ट कहते हैं और यदि अजमानतीय अपराध है तो इसके लिये संबंधित मजिस्ट्रेट के सम्मुख जमानत प्रार्थना–पत्र देना होता है जिसके स्वीकार होने के पश्चात् ही जमानत पर छोड़ा जा सकता है। किसी भी महिला को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए पुलिस अधिकारी को लिखित आदेश देने होंगे अन्यथा महिला थाने में किसी पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि 15 साल से कम उम्र के पुरुष को ओर किसी भी महिला को पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। इसलिए यदि किसी भी महिला से पुलिस ने कुछ सवाल पूछने हैं तो महिला के घर पर ही पूछताछ की जा सकती हे यदि पुलिस महिला के घर सवाल पूछने ऐसे समय आती है जिसमें उसे शर्मिन्दगी होती है या मर्यादा का उल्लंघन होता है तो महिला संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर सकती है कि पुलिस निश्चित समय पर ही सवालात पूछने उसके घर पर आए। यदि महिला चाहे तो पुलिस द्वारा सवालात पूछने के समय किसी वकील या दोस्त या रिश्तेदार की मदद ले सकती है। यदि यह लगे कि पुलिस सवाल पूछने पर झूठा फंसाना चाहती है तो ऐसे सवालों का जवाब देने से इंकार किया जा सकता है पुलिस ऐसे सवालात की पूछताछ में किसी कागज पर दस्तखत या अंगूठा लगाने के लिए नहीं कह सकती और न ही डरा धमका सकती है। इसके अतिरिक्त पुलिस को यह शक्ति नहीं है कि वह केवल सवाल या पूछताछ के लिए हिरासत में ले या थाने में रखें।

महिला की तलाशी लेते समय उसकी मर्यादा का विशेष ध्यान रखा गया है इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधानित है कि सिर्फ एक महिला पुलिस किसी महिला के शरीर की तलाशी नहीं ले सकती है और कोई पुरुष पुलिस अधिकारी किसी महिला के शरीर की तलाशी नहीं ले सकता। यदि महिला की तलाशी ली जाती है और जो तलाशी मेमो तैयार होता है, उसकी प्रतिलिपि को प्राप्त करने का उसका अधिकार है जिसकी वह माँग कर सकती है। यदि महिला रिपोर्ट नहीं लिख सकती तो वह रिपोर्ट जुबानी भी बताई जा सकती है जिसको पुलिस लिखकर और पढ़कर सुनायेगी और उस पर उसके दस्तखत या अंगूठा लगवाएगी। इस रिपोर्ट को लिखाने को कोई निश्चित तरीका नहीं होता बल्कि जैसा चाहे लिखकर दी जा सकती है, बशर्ते उसमें घटना से संबंधित पर्याप्त विवरण मिल सके। अर्थात् अपराधी का नाम, पता यदि मालूम हो या उसका हुलिया, क्या अपराध हुआ, कैसे अपराध हुआ, कहां हुआ इत्यादि की जानकारी उसमें होनी चाहिए। हर प्रथम रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने का अधिकार उस व्यक्ति को है, जिसने इसको लिखाया है।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ°–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/– (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ°(जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ

व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी
पता –
नाम –

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ°–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ°(जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोशण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किषोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निशेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नषीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)

32.	सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33.	सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34.	सरल कानूनी ज्ञान माला–34	पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35.	सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36.	सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37.	सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38.	सरल कानूनी ज्ञान माला–38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39.	सरल कानूनी ज्ञान माला–39	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40.	सरल कानूनी ज्ञान माला–40	एड्स को जानें
41.	सरल कानूनी ज्ञान माला–41	मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42.	सरल कानूनी ज्ञान माला–42	शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा
43.	सरल कानूनी ज्ञान माला–43	कानून की जानकारी आखिर क्यों?

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

यदि ऐसे व्यक्तिः–

1– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक,
2– संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3– सभी महिलायें एवं बच्चे,
4– सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5– बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6– औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7– जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8– भूतपूर्व सैनिक,
9– हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
10– वरिष्ठ नागरिक,
11– एच0आई0वी0/एडस से संक्रमित व्यक्ति,

12– ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 3,00,000/– से कम हो।

नोट :– क्रम संख्याः 1 से 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य–सचिव

कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल